

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2011—आश्विन 15, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एस. सुहैल अली, भाप्रसे, सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 सितम्बर एवं 6 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहैल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहैल अली, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-725-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. (श्रीमती) एम. गीता, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 1 से 9 सितम्बर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. (श्रीमती) एम. गीता की अवकाश की अवधि में श्री रवीन्द्र सिंह, राप्रसे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालतम

अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन द्वारा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, कलेक्टर जिला उज्जैन का चालू प्रभार देखा गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. (श्रीमती) एम. गीता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में डॉ. (श्रीमती) एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. (श्रीमती) एम. गीता, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-291-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस., उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. रावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ओ. पी. रावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओ. पी. रावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-327-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अशोक दास, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 18 अगस्त 2011 द्वारा दिनांक 19 सितम्बर से 28 सितम्बर 2011 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जितअवकाश एवं दिनांक 17, 18 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री अशोक दास की अवकाश अवधि में श्री स्वदीप सिंह, आयएएस., अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वन विभाग को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 18 अगस्त 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-777-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस., कमिशनर, चम्बल संभाग, मुरैना को दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2011 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 15, 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अशोक कुमार शिवहरे की अवकाश अवधि में श्री एस. बी. सिंह, आयएएस., कमिशनर ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिशनर चम्बल संभाग, मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शिवहरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कमिशनर, चम्बल संभाग, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक कुमार शिवहरे द्वारा कमिशनर, चम्बल संभाग, मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. बी. सिंह, कमिशनर चम्बल संभाग, मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शिवहरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शिवहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-861-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री के. वासुकी, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुर को दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से 13 अप्रैल 2012 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर 2011 एवं 14, 15 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-496-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिल कुमार जैन, आयएएस., विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 28 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2011 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-674-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 16 से 29 सितम्बर 2011 तक चौदह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश की अवधि में श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, विमानन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. मिश्रा, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक खाण्डेकर, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-801-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 26 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 सितम्बर एवं 8, 9 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्र. ई-1-336-2011-5-एक.—भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री अजय नाथ, भाप्रसे (1982) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अजय नाथ द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत उक्त असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली 2007 की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-739-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2011 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. एफ-6-46-2011-एक-(1).—चूंकि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रो. प्रदीप कुमार जोशी द्वारा दिनांक 28 सितम्बर 2011 से अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, संविधान के उक्त अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष द्वारा कर्तव्यभार ग्रहण करने तक, श्री अशोक कुमार पाण्डे, सदस्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं।

क्र. एफ-6-46-2011-एक (1).—प्रो. प्रदीप कुमार जोशी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत त्याग-पत्र दिनांक 28 सितम्बर 2011 से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-823-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती शशि कर्णावित, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 28 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावित को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावित को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावित अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-557-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राजीव रंजन, भाप्रसे, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 29 जून से 15 जुलाई 2011 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव रंजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव रंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव रंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-907-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश इन्डौर को दिनांक 28 अगस्त से 3 सितम्बर 2011 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश इन्डौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती बीरा राणा, आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 2 से 7 सितम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. एस. तोमर, अवर सचिव (कार्मिक).

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 4-5-03-चौबन-2.—राज्य शासन, एतद्वारा एडबोकेट श्री जाफर बेग, जिला मुरैना, उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश ऊर्दू अकादमी को उनकी कार्य अधिक तक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश ऊर्दू अकादमी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(2) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 23-30-2011-बत्तीस-1.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 (1) के अन्तर्गत जबलपुर शहर के पांच अनुभाग (ओमती, कोतवाली, मोहलपुर, गोरखपुर, रांझी) के अनुविभागीय अधिकारियों/दण्डाधिकारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी नियुक्त करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 1 (ए) 269-86-ब-2-दो.—श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अ.अ.वि.) पुमु. भोपाल को

दिनांक 21 से 29 अक्टूबर 2011 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 30 अक्टूबर 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाकर उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार “नुब्रा वेली, लेह, लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर)” परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1.	श्री एम. आर. कृष्णा	—	स्वयं
2.	श्रीमती एम. इंदिरा	—	पत्नी
3.	श्री एम. कीर्तिस्वरूप	—	पुत्र
4.	श्री एम. तरुण	—	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अ.अ.वि.) पुमु., भोपाल का कार्य श्री एस. के. पाण्डे, भापुसे, पुलिस महानीरीक्षक, (अ.अ.वि.) पुमु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.) पुमु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अ.अ.वि.) पुमु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्ठिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 1 (ए) 77-03-ब-2-दो.—डॉ. आशा माथुर, भापुसे, उप पुलिस महानीरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्डौर को दिनांक 1 से 6 अगस्त 2011 तक कुल ३ः दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर भाषुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 1 (ए) 267-86-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री यू. के. लाल भाषुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत), पु.मु. भोपाल के पुत्र श्री शान्तनु श्रीवास्तव को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2011 की अवधि में पूर्णिया (बिहार) की, की गई अवकाश यात्रा की कार्योत्तर अनुमति खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 1 (ए)-267-86-ब-2-दो.—श्री यू. के. लाल, भाषुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत एवं मानव अधिकार), को दिनांक 16 से 30 अगस्त 2011 तक कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14, 15 एवं 28 अगस्त 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था।

(2) श्री यू. के. लाल द्वारा उक्त अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया गया अवकाश निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्र. एफ 1(ए) 176-97-ब-2-दो.—श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भाषुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल को (Phase-IV Mid Career Training Programme (MCTP) में दिनांक 5 सितम्बर से 14 अक्टूबर 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 17 से 28 अक्टूबर 2011 तक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भाषुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भाषुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ. 1 (ए) 253-88-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भाषुसे, तत्का. पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14, 15, 20, 21 एवं 22 अगस्त 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था।

(2) डॉ. आर. के. गर्ग द्वारा उक्त अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया गया अवकाश निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

फा. क्र. 3(ए)4-2010-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 जिनकी वर्तमान पदस्थापना उनके नाम के समक्ष दर्शित है, को तदर्थ रूप से फास्ट ट्रैक न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रु. 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:—

1. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दतिया।
2. श्री भूरेलाल प्रजापति—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवपुरी।

फा. क्र. 17(ई) 113-2007-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29, सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए न्यायपूर्ति श्री अभय एम. नायक, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिये नियुक्त करता है।

F. No. 17(E) 113-2007-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam,

1983 (No. 29 of 1983) the State Government hereby appoints Justice Shri Abhay M. Naik, retired Judge of Madhya Pradesh High Court as Chairman of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge for the period of five years or till he attains the age of 67 Years, which ever is earlier.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

फा. क्र. 1(बी)1-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 एतद्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के 11(ग्यारह) पदों को सृजित करता है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 986-990-ब-8-चार-11, दिनांक 9 सितम्बर 2011 द्वारा प्रदान की गई है।

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

फा. क्र. 17(ई)162-2007-इक्कीस-ब(दो).—दिनांक 26 सितम्बर 2007 द्वारा श्री सैयद मुश्ताक अली, अधिवक्ता, निवासी तहसील तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह को तहसील तेन्दूखेड़ा में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण तहसील तेन्दूखेड़ा में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है।

फा. क्र. 17(ई)610-2008-इक्कीस-ब(दो).—दिनांक 19 नवम्बर 2008 द्वारा श्री अशोक कुमार नागर, अधिवक्ता, निवासी शाजापुर, जिला शाजापुर को जिला मुख्यालय, शाजापुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। परन्तु उनकी दिनांक 16 मई 2011 को मृत्यु हो जाने के कारण जिला मुख्यालय, शाजापुर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा. क्र. 1(सी)22-2011-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री धनीराम विश्वकर्मा, अधिवक्ता को जिला रायसेन में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

- (2) उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- (3) नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।
- (4) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64—मुख्य शीर्ष—2225—(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना—31—व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां—003—अभिभाषकों को फोस के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- (5) देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

फा. क्र. 1(सी)23-2008-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 5374, दिनांक 5 सितम्बर 2011 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाइंडक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाइंडक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री जयसिंह डी. सूर्यवंशी, अधिवक्ता, ग्वालियर को 18,000/- (रुपये अठारह हजार) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाइंडक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है।) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में की गई नियुक्ति के कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2011 से 8 अक्टूबर 2012 तक की अभिवृद्धि की जाती है। इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे। प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(नोट.—विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाइंडक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे।)

फा. क्र. 1(सी)23-2008-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 5374, दिनांक 5 सितम्बर 2011 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाइडक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाइडक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री आदित्य अधिकारी, अधिवक्ता, जबलपुर को 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाइडक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है.) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में की गई नियुक्ति के कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2011 से 8 अक्टूबर 2012 तक की अभिवृद्धि की जाती है। इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे। प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(नोट.—विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाइडक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे।)

फा. क्र. 1(सी)23-2008-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 5374, दिनांक 5 सितम्बर 2011 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाइडक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाइडक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री एल. एन. सोनी, अधिवक्ता, इन्दौर को 18,000/- (रुपये अठारह हजार) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाइडक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है.) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में की गई नियुक्ति के कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2011 से 8 अक्टूबर 2012 तक की अभिवृद्धि की जाती है। इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे। प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(नोट.—विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाइडक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे।)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव।

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्र. एफ-3-92-2011-बत्तीस.—राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17क(1) के अन्तर्गत सौंसर विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17क(1)की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, सौंसर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सौंसर	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, छिन्दवाड़ा	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, सौंसर	सदस्य
(ङ)	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
(च)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत जाम	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत बेलगांव	

(1)	(2)	(3)	(4)
(छ)	3. सरपंच	ग्राम पंचायत गूजरखेड़ी	-
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्केटिक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सौंसर	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	अनुविभागीय अधिकारी, लो. स्वा. यां., सौंसर	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	अनुविभागीय अधिकारी, दक्षिण (वन) मण्डल, सौंसर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर	समिति संयोजक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-22-2011-1-पांच-शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 17 अगस्त सन् 2011 में प्रकाशित अधिसूचना एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (59) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं:—

सारणी			
अशुद्ध मुद्रित	राजपत्र के पृष्ठ तथा	शुद्ध शब्द जो कि	
हुए शब्द	पंक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं	पढ़े जाएं	
(1)	(2)	(3)	
1. कि देय कर घटकर	पृष्ठ	पंक्ति	
2. हो जाए.	788	4	जिससे कि देय कर
	788	5	से कम हो जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2011

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-3147-011.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(1), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र

भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7-ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
“7-ख.	श्री विनोद कुमार दुबे (जूनियर) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ	गरोठ (मंदसौर)	गरोठ (मंदसौर).”.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F.No. 1-6-89-XXI-B(1)-3147-011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B(1), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 17th April 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification in the Schedule, for serial number 7-B and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be Substituted, namely:—

S. No.	Name and designation of the Judge (1)	Special Court (2)	Local Area/Session Division (4)
“7-B.	Shri Vinod Kumar Dubey (Jr.) Additional Sessions Judge, Garoth.	Garoth (Mandsaur)	Garoth (Mandsaur).”.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of this office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्र. भसकम.-2011-2625.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के ग्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची-एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल/नर्सिंग होम्स को एतदद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है:—

“अनुसूची—एक”
(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)

प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची

अशासकीय अस्पताल

- सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. लि.
हीरो हाण्डा शोरूम, नियर सेकेण्ड ब्रिज नागरथ चौक, जबलपुर (म.प्र.)

प्रभात दुबे, सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 7 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 11-अ 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	किशनपुर	2.011	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोषरा परियोजना की हमीदगंज उपनहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 12-अ 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	हमीदगंज	3.292	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोषरा परियोजना की हमीदगंज उप नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

सीहोर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 2-अ 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	कोलूखेड़ी	2.655 योग . . 2.655	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर नसरुल्लागंज, जिला सीहोर.	सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 3-अ 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	कोलूखेड़ी	1.319 योग . . 1.319	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर नसरुल्लागंज, जिला सीहोर	सीप कोलार लिंक परियोजना घोड़ा पछाड़ विवर निर्माण (झब्ब क्षेत्र) हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	वीरपुरा	7.317 योग. . 7.317	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर नसरुल्लागंज, जिला सीहोर.	सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ., भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अधि. कार्यालय इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	अलीपुर	3.829 योग. . 3.829	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर नसरुल्लागंज, जिला सीहोर.	सीप कोलार लिंक परियोजना घोड़ा पछाड़ विवर निर्माण (झूब क्षेत्र) हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ., भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अधि. कार्यालय इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	अलीपुर	8.028 योग . . 8.028	कार्यपालन यंत्री कोलार नहर नसरुल्लागंज, जिला सीहोर.	सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ. भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अधि. कार्यालय इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्र. 7-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	समापुरा	1.881 योग . . 1.881	कार्यपालन यंत्री कोलार नहर नसरुल्लागंज, जिला सीहोर.	सीप कोलार लिंक परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ. भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अधि. कार्यालय इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

सीहोर, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्र. 9-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	बोरदीकलौ	1.137	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सीहोर.	अपर बोरदी जलाशय की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.लि. भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अधिकारी कार्यालय, इछावर में प्रस्तुत कर करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्र. भू.अ.अ.-2010-11-2759.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	कोटातला रेयतवारी	1.31	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर।	टोल प्लाजा का निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्र. क-7780-प्र.भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			लगभग क्षेत्रफल					
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
सागर	देवरी	रायखेड़ा	16	3.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.)	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.		

क्र. क-7781-प्र.भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			लगभग क्षेत्रफल					
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
सागर	देवरी	मुआरबूढ़ी	6	0.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.)	देवरी विकासखंड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.		

क्र. क-7782-प्र.भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल	कुल कुल रकबा ख.नं. (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	समनापुर	11	2.97	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.)	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-7783-प्र.भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल	कुल कुल रकबा ख.नं. (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	दुगरिया स्वामी	4	0.75	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.)	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

सागर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्र. क-7916-प्र.भू.-अर्जन-2011-प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये मंजला जलाशय योजना निर्माण हेतु आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभा व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल	कुल कुल रकबा ख.नं. (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बण्डा	मझगुवां	105	0.01	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.)	मंजला जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन ग्राम मझगुवां.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—(1) मंजला जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन ग्राम मझगुवां।

(3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क-7917-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			लगभग क्षेत्रफल					
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
सागर	बण्डा	मंजला	105	0.49	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म.प्र.)	मंजला जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन ग्राम मझगुंवा.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—(1) मंजला जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन ग्राम मझगुंवा.
 (3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 19 सितम्बर 2011

नस्ती क्र. 85-2011-ए.ए.-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-65-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			लगभग क्षेत्रफल					
			(4)	(हे. में)				
(1)	(2)	(3)						
खण्डवा	पुनासा	गुयडा	3.92		कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र. 112-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-66-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	मोहद	6.91	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 20 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 14-अ-82-2010-11-450.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	कुंभराज	निजामपुर	6/1क 0.052 6/1 ख 0.053 कुल 0.105	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राष्ट्रीय गढ़.	कालापाठा स्टाप डेम निर्माण योजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी चाचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है।

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथी के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 सितम्बर 2011

क्र. 33-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न के सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित शक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	हिम्मतगढ़	4.107 योग. . 4.107	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की दांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु ग्राम हिम्मतगढ़ की भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 014-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	मुडवारा	1.107 प.ह.नं. 43 कुल. . 1.107	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल. जबलपुर	कटनी साउथ एवं मुडवारा कार्ड रेल लाइन निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान), भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्र. क्रू-भू-अर्जन-1843.—चौंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	नरवर	दिंगवास	1902/2/1	0.060	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना की दोआव
			1555	0.030	दांया तट नहर संभाग नरवर,	मुख्य नहर की खेड़ा शाखा
			1674	0.010	जिला शिवपुरी.	नहर का निर्माण कार्य.
			1673	0.060		
			1603/1	0.03		
			1603/2	0.06		
			1603/3	0.06		
			1600	0.06		
			1584	0.05		
			1599	0.03		
			1587	0.02		
			1588	0.02		
			1589	0.05		
			1604	0.01		
			1566	0.04		
			1568	0.02		
			1585	0.02		
			1571	0.03		
			1573	0.01		
			1570	0.02		
			1569	0.01		
			1583	0.01		
			661	0.04		
			662	0.03		
			660	0.04		
			1572	0.02		
			1574	0.01		
			1567	0.02		
			1565	0.02		
			659	0.04		
			658	0.08		
			654	0.06		
			650	0.03		
			638	0.06		
			637	0.07		
			630	0.03		
			634	0.03		
			635	0.08		
			616	0.03		
			629	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			618	0.07	
			614	0.02	
			615	0.02	
			605	0.09	
			604	0.05	
			603	0.08	
			595	0.08	
			597	0.04	
			617	0.01	
			कुल रकमा :	<u>1.94</u>	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1844.—चौंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	सोन्हर	1530	0.06	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना की उकायला
			1532	0.21	दांया तट नहर संभाग नरवर,	उच्चस्तरीय नहर की डी-6
			1536	0.03	जिला शिवपुरी.	शाखा नहर का निर्माण कार्य.
			1535	0.10		
			1538	0.08		
			1539	0.08		
			1544	0.02		
			1564	0.11		
			1545	0.11		
			1573	0.08		
			1588	0.11		
			1595	0.18		
			1615/1	0.20		
			1620	0.05		
			1621	0.02		
			1622	0.19		
			1626	0.05		
			1614	0.15		
			1618	0.32		
			1624	0.12		
			1748	0.45		
			1753	0.10		
			1754	0.09		
			1757	0.25		
			1758	0.02		
			कुल रकमा :	<u>3.18</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1845.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	नरवर	कुबरी (ग्वालिया)	1364 1374 1365 1385 1386 1387	0.16 0.06 0.04 0.14 0.02 0.10	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी।	उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-6 मायनर एवं सब-मायनरों का निर्माण हेतु।
			कुल रकमा :	0.52		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 26 सितम्बर 2011

पत्र क्र. 9968-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	भैसोला	4.541	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार (म. प्र.)	अम्बापाड़ा तालाब के निर्माण में प्रभावित होने से।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

धारा, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. 307-वाचक-प्र.क्र. 2-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
				प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धारा	धरमपुरी	कुसूमला	8.942	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धारा, भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./ओंकारेश्वर नहर परियोजना, धरमपुरी, जिला धारा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 312-वाचक-प्र.क्र. 3-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
				प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धारा	धरमपुरी	उमरिया	15.954	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धारा, भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./ओंकारेश्वर नहर परियोजना, धरमपुरी, जिला धारा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 322-वाचक-प्र.क्र. 4-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
धार	धरमपुरी	दापला	13.713	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर.	प्राधिकृत अधिकारी	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./ओंकारेश्वर नहर परियोजना, धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 302-वाचक-प्र.क्र. 5-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
धार	धरमपुरी	बगवान्या	28.675	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर.	प्राधिकृत अधिकारी	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./ओंकारेश्वर नहर परियोजना, धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 297-वाचक-प्र.क्र. 6-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	शाहपुरा काकड़दा	12.005	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./ओंकारेश्वर नहर परियोजना, धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।				

क्र. 317-वाचक-प्र.क्र. 7-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	चिकट्याबड़	21.892	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स.स.प./ओंकारेश्वर नहर परियोजना, धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 9-अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बुरहानपुर	नेपानगर	भगवानिया	40.42	भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर	रूपरेल तालाब योजना के शीर्ष	
		धुलकोट	11.71		कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.	
		योग :	52.13			

नोट :—अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. -अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बुरहानपुर	बुरहानपुर	मंगरूल बोराँवखुर्द	30.90 2.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	मंगरूल तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.	
		मंगरूल निंबोला	5.50 0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	मंगरूल तालाब योजना के नहर कार्य हेतु.	
		योग :	39.10			

नोट :—अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान), कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10 पत्र क्र. 363-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	किरहाई	4.107	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना।	इटमा तालाब योजना हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10 पत्र क्र. 869-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	अमिलिया	7.583	अनुविभागीय अधिकारी, “राजस्व” मे. के. जे. एस. सीमेन्ट प्लांट	
		लखबार	11.949	अनुविभाग मैहर, जिला सतना।	मैहर की स्थापना हेतु।
		योग :	19.532		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

झाबुआ, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्र. 3003-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—थांदला
- (ग) ग्राम—खोखर खांदन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्टर.

सर्वे नं.	तालाब निर्माण हेतु अधिग्रहित रक्कम (हे. में)
(1)	(2)
15	0.36
16	0.17
384	0.41 (कुओं 1)
21	0.50
23	0.60 (कुओं 1)
388	0.18
390/1	0.21
390/2	0.22
390/3	0.22
योग . .	<u>2.87</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम खोखरखांदन में खोखरखांदन तालाब निर्माण हेतु अधिग्रहित होने से.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, झाबुआ में किया जा सकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 01, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

अनूपपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्र. 6745-दस-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
- (ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
- (ग) ग्राम—सिवनी संगम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल — 1.056 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रक्कम (हे. में)
(1)	(2)
32/2	0.218
40/1घ	0.101
40/1ड	0.061
40/2क	0.240
41	0.202
42/1	0.072
42/2	0.162
योग . .	<u>1.056</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—पुल निर्माण पहुंच मार्ग हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उड़के, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

खण्डवा, दिनांक 16 सितम्बर 2011

नस्ती क्र. 277-10-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-10-11-शुद्धि-पत्र।—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम गोंडखेड़ा, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र”, भाग-1 में दिनांक 25 मार्च 2011 को, नवभारत में दिनांक 22 मार्च 2011 को, अक्षर विश्व में दिनांक 23 मार्च 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 19 मार्च 2011 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविधि		सही संशोधित प्रविधि	
	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25-3-2011.	18/2	0.06	81/2	0.06
नवभारत में दिनांक 22-3-2011.	18/2	0.06	81/2	0.06
अक्षर विश्व में दिनांक 23-3-2011.	18/2	0.06	81/2	0.06
आम इश्तहार में दिनांक 19-3-2011.	18/2	0.06	81/2	0.06

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.48 है। यथावत् रहेगा।

नस्ती क्र. 369-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 07-अ-82-09-10-शुद्धि-पत्र।—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम सरल्या, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-07-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र”, भाग-1 में दिनांक 25 जून 2010 को, राज एक्सप्रेस समाचार-पत्र में दिनांक 17 जून 2010 को, स्वदेश में दिनांक 19 जून 2010 एवं आप इश्तहार दिनांक 11 जून 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविधि		सही संशोधित प्रविधि	
	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)	खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25-6-2010.	67/1	0.08	67/1	0.11
	67/3	0.11	67/3	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)	
राज एक्सप्रेस में दिनांक 17-6-10.	67/1 67/3	0.08 0.11	67/1 67/3	0.11 0.08
स्वदेश में दिनांक 19-6-10.	67/1 67/3	0.08 0.11	67/1 67/3	0.11 0.08
आप इश्तहार में दिनांक 11-6-10.	67/1 67/3	0.08 0.11	67/1 67/3	0.11 0.08

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 4.75 है। यथावत् रहेगा।

नस्ती क्र. 16-11-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ-82-10-11-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—पुनासा
- (ग) ग्राम—पालसूद माल
- (घ) अर्जित रकबा—1.31 हेक्टेयर।

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
229	0.26
230	0.03
233/1	0.11
273/3	0.06
273/4	0.13
273/5	0.04
273/6	0.04
273/7	0.01
273/9	0.06
273/10	0.07
273/11	0.01
279	0.01
280	0.09
281	0.01
283	0.03
286	0.08
287	0.03

(1)	(2)
304/1	0.02
304/4	0.08
304/5	0.02
304/6	0.03
304/8	0.05
392/1	0.02
393/1	0.02
योग . .	<u>1.31</u>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 19 सितम्बर 2011

क्र. 23-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—हिडोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—14.28 हेक्टर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

खण्डवा, दिनांक 19 सितम्बर 2011

नस्ती क्र. 166-2010-ए.ल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 43-अ-82-09-10-शुद्धि-पत्र.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम अंजनियाखुर्द, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-43-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र”, भाग-1 में दिनांक 22 अक्टूबर 2010 को, एवं चौथासंसार में दिनांक 25 अक्टूबर 2010 एवं स्वदेश में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निमानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा	रकबा	खसरा	रकबा
	नंबर	(हे. में)	नंबर	(हे. में)
	(1)	(2)	(1)	(2)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 22-10-2010.	123/2क	0.06	123/2	0.06
चौथासंसार में दिनांक 25-10-2010.	123/2क	0.06	123/2	0.06
	179/2	0.11	179/4	0.11
स्वदेश में दिनांक 24-10-2010.	123/2क	0.06	123/2	0.06

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 4.02 है। यथावत् रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
17/2	0.08
18	0.21
19	0.03
20	0.06
21	0.05
23	0.14
24	0.27
25	0.12
26	0.05
29	0.05
30	0.12
31	0.04
32	0.01
33	0.08
34	0.11
35	0.23
37	0.15
38	0.10
41	0.03
42	0.01
45	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
57/3	0.07	588/2	0.02
58	0.11	596	0.14
60	0.03	597/1	0.03
62	0.05	597/2	0.03
84	0.04	597/3	0.03
85	0.05	603	0.17
88	0.02	643	0.03
96	0.02	644	0.01
97	0.22	645	0.03
98	0.32	646	0.05
99	0.01	647	0.13
122	0.05	648	0.04
123	0.03	662	0.02
124	0.05	664	0.03
136	0.07	665	0.01
138	0.12	666	0.01
141	0.08	667	0.03
142	0.06	668	0.04
146	0.03	674	0.02
147	0.03	675	0.04
149	0.04	676	0.07
150	0.11	677	0.08
151	0.11	678	0.02
159	0.03	679	0.02
197	0.07	680	0.02
198	0.06	681	0.05
211	0.03	682	0.03
212	0.05	683	0.02
284	0.17	733	0.17
516	0.10	734	0.11
517	0.07	735	0.06
519	0.08	748	0.02
520	0.05	749	0.02
521	0.06	750	0.04
522	0.04	751	0.04
523	0.04	758	0.06
539	0.27	1175	0.04
540	0.25	761	0.05
558	0.02	762	0.08
570	0.04	765	0.01
583	0.09	766	0.12
584	0.13	779	0.03
586	0.06	790	0.04
587	0.09	791	0.07
588/1	0.17	792	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
793	0.09	1091	0.03
797	0.11	1092	0.04
798	0.13	1128	0.05
800	0.10	1141	0.01
801	0.09	1142	0.06
805	0.04	1143	0.01
806	0.06	1147	0.03
807	0.32	1148	0.06
809	0.25	1162	0.03
811/1	0.16	1163	0.11
811/2	0.03	1165	0.03
811/3	0.24	1169	0.03
878	0.01	1170	0.04
916	0.01	1173	0.02
917	0.01	1183	0.05
918	0.01	1184	0.02
939	0.01	1185	0.05
940	0.01	1186	0.09
942	0.07	1187	0.02
943	0.08	1188	0.03
945	0.13	1190	0.01
946	0.09	1191	0.20
971	0.08	1202	0.02
972	0.06	1203	0.03
973	0.10	1248	0.01
977	0.05	1254	0.02
978	0.13	1255	0.04
981	0.29	1256	0.04
982	0.22	1257	0.07
984	0.03	1258	0.07
985	0.23	1340	0.04
986	0.20	1341	0.07
987	0.09	1342	0.09
997	0.12	1343	0.09
998	0.10	योग . .	14.28
1005	0.17	(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—सिंध परि.	
1007	0.17	आर.बी.सी. (महुर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-7 एवं	
1008	0.17	12 आर माइनर, 13 आर माइनर तथा 14 आर माइनर के	
1010	0.11	निर्माण हेतु.	
1011	0.13	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन	
1081	0.08	शाखा कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
1082	0.12	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
1083	0.05	अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
1090	0.03		

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

धार, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्र. 2028-वाचक-प्र.क्र. 62-अ-82-2008-2009-संशोधन.—कार्यालय पत्र क्र. 1529-वाचक-प्र.क्र. 62-अ-82-2008-09, धार, दिनांक 10 अगस्त 2010, ग्राम बजटाखुर्द, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 14.099 है. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग-एक, पृष्ठ क्रमांक 2069, 2070 पर दिनांक 20-8-2010 के अंक में तथा दो समाचार-पत्रों क्रमशः चौथा संसार दिनांक 22-8-2010 के अंक में तथा स्वदेश में दिनांक 20-8-2010 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 17291/10 जिसके स्थान पर निमानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—बजटाखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.335 हेक्टर.

पूर्व में प्रकाशित

अब प्रकाशित होने वाला
संशोधन

(1)		(2)	
सर्वे नं.	अर्जित रकबा	सर्वे नं.	अर्जित रकबा
निजी	(हे. में)	निजी	(हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
30/1/3	0.050	197/4/1	0.100
		197/4/3	0.100
155/2	0.200	197/4/2	0.180
44/2	0.650	44/1क	0.070
143/1क			
44/3	0.065	42	0.120
201/1/4	0.540	218/2/2	0.400
197/1/1	0.021	155/3	0.245
		239/1	0.050
-	-	30/1/2	0.070
योग . .	1.526	योग . .	1.335

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेगी.

धार, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 03-अ-82-10-11-भू-अर्जन-11-संशोधन.—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना प्रकाशन क्रमांक 03-अ-82-10-11-भू-अर्जन, ग्राम खण्डवा, तहसील कुक्षी के लिए दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. उक्त अधिसूचना का प्रकाशन हिन्दी समाचार-पत्र नवभारत में दिनांक 17 मई 2011 व दूसरे समाचार-पत्र स्वदेश में दिनांक 13 मई 2011 में त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से निमानुसार संशोधन नीचे दर्शाए अनुसार पढ़ा जावे :—

ग्राम-खण्डवा प.ह.नं. 67, तहसील-कुक्षी, जिला-धार

प्रकाशन हुआ

**प्रकाशन होना था जो
पढ़ा जावे**

(1)

(2)

खसरा नं.	रकबा (हे. में)	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
134/1	0.069	234/1	0.069
216/1	0.268	216/1	0.027
216/2	0.027	216/2	0.268

नोट.— प्रकरण से संबंधित शेष विवरण पूर्व प्रकाशन अनुसार ही रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सीहोर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 02-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—आष्टा

- (ग) नगर/ग्राम—सेवदा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.404 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	रक्बा (हेक्टर में) (2)
619/6	0.174
619/9	0.008
622/1	0.190
622/3	0.012
624/1	0.178
627/3	0.170
628/3	0.170
630/1	0.162
630/2	0.142
631/1	0.109
631/3	0.049
631/4	0.040
योग . .	<u>1.404</u>

- (ग) ग्राम—खरों, पटवारी हल्का नम्बर 04
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.570 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रक्बा (हेक्टेर में) (2)
3	0.039
4/1	0.141
3/2829	0.390
योग . .	<u>0.570</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब की नहर निर्माण कार्य हेतु.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्र. 7-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 7-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—पलेरा

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब की नहर निर्माण कार्य हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. 04-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 3-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—पलेरा
 (ग) ग्राम—महेबा चक्र-2, पटवारी हल्का नम्बर 02
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.347 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रक्बा (हेक्टेर में) (2)
61/1क	0.591
64/10/3	0.050
90	0.040
91	0.099
92	0.028
106	0.226

(1)	(2)
100/1	0.070
100/2/1	0.028
105/7	0.198
105/8	0.017
योग . .	<u>1.347</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब की नहर निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब की नहर निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 04-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 3-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—पलेरा
- (ग) ग्राम—भदरई, पटवारी हल्का नम्बर 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.048 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	रक्कवा (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर (हेक्टेयर में)	रक्कवा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
322	0.021	841/1	0.303
327	0.123	838/2	0.220
331	0.113	843/19	0.090
332/1	0.354	849/1	0.045
332/2	0.028	849/3	0.060
383	0.031	849/19	0.095
385	0.067	849/22	0.056
477	0.067	849/5	0.065
353	0.199	849/11	0.012
364	0.022	849/6	0.020
365	0.042	849/12	0.080
370	0.061	849/13	0.085
योग . .	<u>1.048</u>	849/14	0.070
		849/21	0.070
		योग . .	<u>1.271</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब की नहर निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	(1)	(2)
एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा और कार्यपालन यंत्री,	305	0.020
जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा	339	0.040
सकता है.	340	0.040
क्र. 03-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक. सन 1894) की धारा 6 के अंतर्गत	341	0.040
	348	0.040
	359	0.020
योग . .		0.926

क्र. 03-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनसची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—मोहनगढ़
(ग) नगर/ग्राम—टीलादांत
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.926 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/1	0.056
47	0.040
48	0.026
54	0.040
55	0.026
59	0.046
60	0.004
75/1	0.060
75/5	0.026
75/6	0.040
149/2	0.038
75/7	0.026
148	0.040
149/1	0.038
149/3	0.060
152	0.080
153	0.020
160	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नवकाश (प्लान) अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 11-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 11-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—मोहनगढ़
 (ग) नगर/ग्राम—टपरियन
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.389 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30/2	0.220
30/3	0.100
34/2	0.120
34/3	0.180
34/6	0.064
34/7क	0.064
34/8	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
264/1	0.080	162	0.060
268/1	0.060	163	0.004
272/4	0.020	164	0.040
359/2	0.060	165	0.008
268/2	0.049	167	0.004
268/3	0.060	94/2	0.056
272/5	0.020	96	0.076
272/3	0.020	184	0.060
278	0.060	186	0.004
362	0.020	188	0.004
363	0.060	216	0.040
366	0.060	134	0.004
367	0.060	135	0.032
योग . .	<u>1.389</u>	141	0.002
		142	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—मोहनगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—भौरगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.122 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकवा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

69

0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	(1)	(2)
एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री,	270	0.022
जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के	273	0.060
कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।	277	0.048
क्र. 13-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 13-अ-82-10-11.—चूंकि,	107/4	0.100
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई	117/2	0.024
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2)		
में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः		
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6		
के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त		
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	योग . .	1.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 25-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49	0.032
51	0.032
54	0.008
52	0.020
56	0.040
57	0.040
228	0.012
75	0.040
76	0.040
108	0.024
112	0.040
113	0.016
114	0.036
229	0.040
232	0.040
303/1	0.140
234	0.052
237	0.020
245	0.052
246	0.024

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—पृथ्वीपुर
- (ग) ग्राम—खिस्टोन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.541 हेक्टर।

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
730/9/3/3	0.087
730/9/3/1	0.090
730/9/2	0.069
730/8क/2	0.225
730/8ख	0.020
730/7/12/1	0.050
	योग . .
	0.541

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है—सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 26-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—पृथ्वीपुर
- (ग) ग्राम—पृथ्वीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.431 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रक्कम
	(हे. में)

(1)	(2)
3900	0.117
3860	0.063
3862	0.039
3864	0.042
3868	0.010
3870	0.054
3876	0.005
3884	0.030
3889	0.001
4123	0.236

खसरा नम्बर	रक्कम
	(हे. में)
4165	0.047
4169	0.125
4170	0.004
4171	0.043
4172	0.031
4180	0.084
4182	0.056
4183	0.005
3800/2	0.012
3863/1	0.016
3863/2	0.153
3877/1	0.030
3881/1	0.019

(1)	(2)
3881/2	0.049
4120/2	0.144
4667/4169	0.016
योग . .	1.431

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है—सत्तीधाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 27-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—पृथ्वीपुर
- (ग) ग्राम—मवई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.375 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रक्कम
	(हे. में)

(1)	(2)
52	0.078
57/1/1	0.101
59/2	0.087
67/2	0.071
67/5	0.038
योग . .	0.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है—सत्तीधाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 28-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—पृथ्वीपुर
- (ग) ग्राम—जलन्धर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.631 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
147	0.218
138/3/2ख	0.124
138/3/1	0.174
138/3/2क	0.072
138/3/क	0.044
138/3ख	0.085
21/1	0.083
20/4	0.056
34/9	0.049
34/8	0.097
34/12	0.128
34/4	0.125
34/5	0.110
34/6	0.173
6	0.093
योग . .	<u>1.631</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन हंतु आवश्यकता है—सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 21 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 42-अ-82-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—पथरिया
- (ग) ग्राम—देवरान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.04 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)
216	0.04
योग . .	<u>0.04</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बांसा देवरान पहुंचमार्ग के निर्माण दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	680	0.090
राजस्व विभाग	681	0.140
ग्वालियर, दिनांक 21 सितम्बर 2011	688	0.120
	689	0.030
प्र. क्र. 16-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	690/1	0.040
अनुसूची	691	0.210
(1) भूमि का वर्णन—	683	0.080
(क) जिला—ग्वालियर	665	0.010
(ख) तहसील—भितरवार	961	0.040
(ग) ग्राम—सांखनी	962/3	0.010
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.772 हेक्टेयर	963/1	0.050
सर्वे अर्जित रकमा	963/2	0.100
नम्बर (हे. में)	968	0.030
(1) (2)	969	0.070
615 0.020	970/2	0.040
623/4 0.100	970/1	0.010
623/5 0.020	971/1	0.040
626 0.050	971/5	0.040
625 0.090	971/2	0.050
627 0.090	971/4	0.030
632/2 0.0120	973	0.070
633 0.130	974	0.030
634 0.010	975	0.050
635 0.220	1041/1	0.070
636 0.060	939	0.100
637 0.040	944/2	0.020
645/2 0.030	945	0.070
646 0.060	946	0.020
647 0.050	947	0.010
648 0.080	935/1	0.120
649 0.090	938	0.120
666 0.030	949/4	0.020
667/1 0.070	948	0.080
667/2 0.020	1137	0.020
667/3 0.020	1138	0.020
668 0.310	1140/2	0.130
669 0.040	1140/1	0.090
	1142	0.030
	1144/1	0.060
	1144/2	0.080
	1154	0.080
	1155	0.030
	1146/1	0.040
	1164/1	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
1164/2	0.030	2748/2	0.040
1206	0.100	2750	0.170
1166	0.170	2753	0.010
1145	0.020	2754/1	0.080
1165	0.030	2754/2	0.050
1924	0.010	2769/2	0.060
1930	0.140	2771/2	0.060
1958	0.040	2774	0.080
1959	0.020	2771/1	0.020
1960	0.010	2772/1	0.050
1963	0.090	2772/2	0.010
1964	0.070	2772/3	0.010
1969	0.060	2772/4	0.040
1975	0.040	2777	0.080
1976	0.060	2778/2क	0.010
1993	0.020	2778/क	0.010
2006	0.020	2778/2ख	0.040
2009/2	0.020	2783/1	0.030
2012/1	0.020	2404/2	0.030
2013/2	0.010	2749	0.030
2067	0.030	2158	0.030
2068	0.030	2160	0.040
2070	0.040	2163	0.020
2156	0.060	2165	0.010
2162	0.030	2166	0.020
2164	0.020	1962	0.020
2403/1	0.030	1977	0.010
2403/2	0.030	1931	0.080
2404/1मि.	0.040	1923	0.070
2719/2मि.	0.020	1924	0.010
2719/3	0.010	643/2	0.040
2724	0.010	622	0.040
2719/4	0.010	2089	0.040
2719/6 मि.	0.080	2088	0.060
2719/7 मि.	0.050	2090	0.030
2723/5	0.070	2085	0.070
2719/5	0.020	2013/1	0.160
2723/6	0.080	2071/1	0.020
2728/1	0.020	2071/2	0.070
2726/2	0.180	2072	0.080
2727/2	0.030	2069	0.130
2728/2	0.050	2073	0.040
2730	0.010	2078	0.060
2747/2	0.070	2075	0.020

(1)	(2)
2159	0.050
2161	0.030
2150	0.070
2147	0.040
2148	0.030
2149	0.040
2145	0.050
2146	0.010
2770/2	0.010
2778ख	0.050
2755	0.050
कुल रकबा :	<u>8.772</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना के तहत दो आब नहर की सांख्नी मायनर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 18-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—भितरवार
- (ग) ग्राम—खड़ौआ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 हेक्टेयर

सर्वे	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
1043	0.020
1053/1	0.010
1057	0.070
1046 मि., 1046 मि.	0.100
1047	0.030
1048	0.020
1051	0.050
1052	0.090
1053/2	0.010
1055	0.020
1058	0.060
1059	0.050
1060 मि., 1060 मि.	0.030
1061	0.010
1064 मि., 1064 मि.	0.020
1065	0.050
1066	0.080
1208	0.120
1211	0.020
1213	0.080
1226	0.090
1283	0.090
1227 मि.	0.110
1285	0.150
1286	0.050
1290	0.060
1291	0.010
1660	0.030
1663 मि., 1663 मि.	0.020
1664	0.040
1665	0.050
1672/2	0.050

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना के तहत दो आब नहर की खड़ौआ मायनर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 19-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—भितरवार
- (ग) ग्राम—खड़ौआ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.91 हेक्टेयर

सर्वे	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)

(1)	(2)
690	0.15
योग :	<u>0.15</u>
1290	0.060
1291	0.010
1660	0.030
1663 मि., 1663 मि.	0.020
1664	0.040
1665	0.050
1672/2	0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
1675/1, 1675/2	0.050	1801	0.040
1676/1, 1676/2	0.030	1810	0.010
1697/1	0.120	1813	0.060
1697/2		1815	0.020
1697/3		1816	0.010
1697/4		1818	0.020
1697/5		1907	0.050
1697/6		1908	0.040
1061	0.010	1909	0.120
1064 मि., 1064 मि.	0.020	1820	0.010
1Q65	0.050	1894	0.090
1066	0.080	1897	0.120
1208	0.120	1901/1	0.120
1211	0.020	1902/2 मि.	0.050
1213	0.080	1901/2 मि.	
1226	0.090	1902	0.050
1283	0.090	1903	0.050
1227 मि.	0.110	1913/1	0.220
1285	0.150	1913/2	
1286	0.050	1914	0.020
1290	0.060	1916 मि.	0.070
1291	0.010	1916 मि.	
1660	0.030	1916 मि.	
1663 मि., 1663 मि.	0.020	2015	0.010
1664	0.040	2017	0.020
1665	0.050	कुल रकमा : 3.91	
1672/2	0.050		
1675/1, 1675/2	0.050	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—संधि परियोजना के तहत दो आब नहर की खेड़ा मायनर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन।	
1676/1, 1676/2	0.030		
1697/1, 1697/2		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।	
1697/3, 1697/4	0.120		
1697/5, 1697/6			
1698	0.080	ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर 2011	
1700	0.040		
1701	0.050		
1703	0.220		
1702/1	0.080		
1702/2			
1702/3			
1785/1	0.090		
1785/2			
1789	0.020		
1814/1	0.150		
1814/2		अनुसूची	
1798	0.050	(1) भूमि का वर्णन—	
1799	0.040	(क) जिला—ग्वालियर	
		(ख) तहसील—भितरवार	

प्र. क्र. 13-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

- अनुसूची
- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—भितरवार

(ग) ग्राम—झाऊ

(घ) क्षेत्रफल—2.444 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
263	0.084
264	0.052
268/1	0.042
271	0.078
272	0.008
273	0.094
285	0.084
268/2	0.010
269	0.037
241	0.042
242	0.084
233	0.099
270	0.073
261/3	0.050
284/1	0.015
283/1	0.052
262	0.010
287	0.073
292	0.068
327/1	0.094
288	0.084
328	0.042
293	0.104
338	0.021
327/2	0.105
337/2	0.052
336	0.036
342	0.073
340	0.125
243	0.201
339	0.084
357	0.047
232	0.099
261/1,2	0.075
284/1,2	0.094
237/1	0.053
कुल रकबा :	
	2.444

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना के तहत दो आब नहर की झाऊ मायनर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-10-11 भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरबार
(ग) ग्राम—खड़ीचा
(घ) क्षेत्रफल—3.376 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
55	0.036
69	0.031
73	0.010
67	0.021
68	0.115
72	0.089
87	0.073
129	0.088
79	0.052
135	0.042
148	0.094
177	0.030
80	0.031
86	0.010
130/1	0.029
133	0.063
156	0.010
158	0.021
149	0.115
151	0.010
161	0.031
162	0.010
164	0.063
171, 172, 173	0.190
175	0.021
176	0.047
178	0.084
179	0.105
180	0.010
184	0.020

(1)	(2)
185	0.010
186	0.073
18/2 मि.	0.052
17/2 मि.	0.063
187	0.073
195/1 मि.	0.010
17/1 मि.	0.021
197	0.125
200	0.021
190	0.010
71 मि.	0.104
163	0.010
192/1	0.042
192/2	0.042
195/2 मि.	0.021
196	0.125
517/1 मि.	0.035
517/2 क. मि.	0.142
518/3 मि.	0.036
519	0.073
523	0.010
520/1	0.010
521/1 मि.	0.042
521/2 मि.	0.010
532	0.010
520/2	0.010
198	0.102
522	0.052
524	0.030
530/1 मि.	0.040
113	0.050
116	0.150
130/2 मि.	0.028
154	0.057
155	0.047
157	0.026
134	0.063
कुल रकमा :	
	3.376

कुल रकमा : 3.376

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—संधि परियोजना के तहत दो आब नहर की खड़ीचा मायनर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 15-अ-82-10-11-भु-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—बामौर
(घ) क्षेत्रफल—3,082 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रक्खा (हे. में)
(1)	(2)
131/2	0.010
133	0.387
135/1	0.350
135/2	0.158
135/3	0.600
168/1	0.061
168/2	0.200
199	0.031
200/1	0.042
202	0.052
209	0.345
217/3	0.026
217/4	0.110
218/1	0.240
219/2	0.030
219/3	0.260
219/4	0.180
कुल रक्खा :	3.082

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना के तहत दो आब नहर की बामौर मायनर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
 (ख) तहसील—भितरवार
 (ग) ग्राम—केरूआ
 (घ) क्षेत्रफल—2.290 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	(1)	अर्जित रकबा (हे. में)
262		0.040
263		0.060
243		0.050
242		0.110
241		0.030
238		0.090
239		0.060
230		0.190
454		0.020
453		0.010
452		0.050
451		0.060
477		0.020
475		0.050
480		0.030
486		0.050
487		0.030
488		0.100
489		0.190
495		0.010
2826		0.130
2822		0.090
2297		0.220
2302		0.120
2501		0.120
2503		0.090
2506		0.270
कुल रकबा :		2.290

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना के तहत दो आब नहर की केरुआ मायनर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 सितम्बर 2011

क्र. 1516-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—सुपिया
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.016 हेक्टेयर (अतिरिक्त रकबा)

खसरा	अर्जित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
561	0.011
562	0.005
निजी भूमि 02 किता	
शासकीय भूमि 00 किता	
कुल 2 किता	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रोका के कार्यालय में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सागर, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्र. क-भू-अर्जन-2011-8083.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—रहली
- (ग) ग्राम—धौनाई
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—4.44 हेक्टेयर

खसरा	अर्जित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
438	0.97
440	2.00
441/1	0.73
441/2	0.74
योग :	<u>4.44</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—मैनाई जलाशय योजनानंतर्गत ग्राम धौनाई में बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-क-8084-प्र.भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—रहली

- (ग) ग्राम—धौनाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—13.69 हेक्टेयर

खसरा	अर्जित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
441/3	0.73
442	2.00
448	0.56
449/3	2.00
447/4	0.40
449/7	1.00
449/6	1.00
449/5	1.00
449/4	1.00
449/8	1.00
449/9	1.00
449/10	1.00
449/22	1.00
योग :	<u>13.69</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—मैनाई जलाशय योजना के बांध कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-क-8085-प्र.भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—रहली
- (ग) ग्राम—मैनाई
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—26.67 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
249	0.05
251	0.62
255	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
259	0.22	237	0.60
246/1	0.60	264/1	0.46
261/4	1.00	267	0.32
246/2	0.60	270	1.04
243/1	0.27	271	1.20
241	0.62	272	0.92
238/2	0.20	273	0.80
266/2	0.60	235	0.20
246/3	0.60	305	0.01
266/1	0.72	304	0.15
269	0.40	338/1	0.04
243/2	0.89	338/2	0.11
246/4	0.40	347	0.56
240/2	0.40	261/1	0.42
246/5	0.40	261/5	0.45
261/3	0.40	260	0.20
240/1	0.17	कुल योग : <u>26.67</u>	

238/3	0.13	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है।—मैनाई जलाशय योजना के बांध एवं नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर.
238/1	0.43	
236	0.40	
230	1.66	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रेहली के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
229/1	0.80	
229/2	0.43	
205	0.82	क्र.-क-8082-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 04-अ-82-10-
224	0.10	11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
114	0.12	
223	0.60	
226	2.11	
219/2	0.36	
125	0.04	
124	0.04	अनुसूची
111	0.28	(1) भूमि का वर्णन—
115	0.16	(क) जिला—सागर
261/2	0.40	(ख) तहसील—बाण्डा
113	0.04	(ग) नगर/ग्राम—बाहोरी जगदीश
262	0.20	(घ) क्षेत्रफल (हेक्टर) — 58.83 हेक्टेयर.
296	0.20	सर्वे
298	0.16	नम्बर
293	0.15	(1)
292/1	0.24	1062
290	0.05	0.45
		1054
		0.19

- (2) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सागर
 - (ख) तहसील—बाण्डा
 - (ग) नगर/ग्राम—बाहोरी जगदीश
 - (घ) क्षेत्रफल (हेक्टर) — 58.83 हेक्टेयर.
- | | |
|-------|-----------|
| सर्वे | रकबा |
| नम्बर | (हे. में) |
| (1) | (2) |
| 1062 | 0.45 |
| 1054 | 0.19 |

(1)	(2)	(1)	(2)
1052	0.45	881	0.10
1003	0.25	884	0.30
1002/1, 1002/2, 1002/3	0.35	885	1.07
982/2	0.02	886	0.45
956	0.09	888	1.13
953	0.30	887	0.52
954/1, 954/2, 954/3	0.74	889	1.42
947	0.03	890	0.41
944	0.30	891/1	0.25
945	0.15	891/2	0.25
946/1	0.25	891/3	0.25
943	0.22	892	0.40
942/2	0.82	893	0.43
955/1, 955/2	0.15	894	0.75
983	0.13	895	1.88
986	0.55	902	0.71
999/1	0.05	905	0.15
995	0.21	896	1.87
998/1, 998/2, 998/3	0.30	908/1	0.05
951	0.12	908/2	0.35
952	0.15	909	0.55
950	0.16	910	0.59
949	0.13	912	0.58
948	0.08	913	0.43
946/2	0.42	914	0.95
946/1	0.20	937	0.64
930	0.52	933	0.73
931	0.82	942/1	0.83
932	1.00	941/1	0.27
921	0.22	941/2	0.27
934	0.20	940	2.13
936/1, 936/2	0.48	938/1	0.40
906	0.18	938/2	0.39
938/1, 938/2, 938/3, 938/4	0.23	939	0.96
903	0.20	981	4.23
901	0.04	984/1	0.64
882	0.22	984/2	1.27
696	0.12	985	1.35
697	0.12	987	1.08
695	0.08	988/1	1.62
687	0.15	988/2	0.80
688	0.19	979	1.21
689	0.35	980/1	0.42
		980/2	1.50
		958	0.19
		959/1, 959/2	0.56

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—जिगनहट	
960/1, 960/2	0.55	(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.771 हेक्टर.	
961	1.53	खसरा	क्षेत्रफल
962	0.43	नम्बर	(हेक्टर में)
963	0.35	(1)	(2)
966	0.25	257	0.180
967	0.13	258	0.010
978	0.25	259	0.192
964/1, 964/2	0.78	3 किता	0.382
965	0.13	263	0.248
980	0.26	264	0.240
683	0.17	267	0.080
682	0.40	3 किता	0.568
684	0.56	266	0.130
685	1.02	268	0.090
681	0.28	270	0.318
686	0.38	3 किता	0.538
935/1, 935/2	1.65	269	0.245
कुल योग : <u>58.83</u>		287	0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है।—बम्हौरी जगदीश जलाशय बांध डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल, एप्रोच, चेनल, एवं नहर में अर्जित भूमि का विवरण योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम बम्हौरी जगदीश.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. 862-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—म. प्र. शासन/निजी खाता
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—जिगनहट
खसरा	क्षेत्रफल	(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.771 हेक्टर.
नम्बर	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
257	0.180	
258	0.010	
259	0.192	
3 किता	0.382	
263	0.248	
264	0.240	
267	0.080	
3 किता	0.568	
266	0.130	
268	0.090	
270	0.318	
3 किता	0.538	
269	0.245	
287	0.300	
288	0.100	
2 किता	0.400	
290	0.052	
350/1	0.317	
350/1ख	0.181	
350/3क	0.181	
350/3ख	0.225	
353/2	0.469	
323	0.016	
325	0.034	
326	0.070	
331	0.013	
3 किता	0.117	
327	0.042	
328	0.070	
329	0.293	
3 किता	0.405	
349	0.005	
341/2	1.23	
435	0.92	
625	0.11	
626	0.07	
627	0.105	
4 किता	2.440	

(1)	(2)	(1)	(2)
572	0.010	698/2	0.100
620	0.070	13 किता	<u>0.705</u>
621	0.030	697/2ग	0.060
623	0.010	698/1ग	0.067
624	0.063	2 किता	<u>0.127</u>
2 किता	<u>0.073</u>	509/3	0.296
628	0.045	514	0.262
617	0.010	515	0.096
618	0.070	516/3	0.041
619	0.070	4 किता	<u>0.695</u>
650	0.004	509/2	0.223
654	0.05	510	0.002
655	0.09	511	0.042
674/2क	0.015	512	0.063
675/2क	0.005	513	0.042
8 किता	<u>0.314</u>	5 किता	<u>0.372</u>
656	0.094	509/1क/2	0.368
657	0.094	508/1	0.767
658	0.101	508/2	0.100
659	0.073	कुल योग : <u>10.771</u>	
674/2ख	0.192	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता हैः—सतना जिले में रिंग रोड निर्माण हेतु.	
675/2ख	0.005	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	
6 किता	<u>0.559</u>	क्र. 863-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—	
671	0.062	अनुसूची	
672	0.004	(1) भूमि का वर्णन—म. प्र. शासन/निजी खाता	
670	0.042	(क) जिला—सतना	
665	0.042	(ख) तहसील—रघुराजनगर	
666	0.090		
667	0.073		
668	0.100		
669	0.010		
680	0.035		
681	0.042		
682/2	0.015		
697/1	0.090		

(ग) नगर/ग्राम—शेरगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.037 हेक्टर.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)

(1)	(2)
-----	-----

226/स/3/ख	0.044
-----------	-------

227/द/2	0.539
---------	-------

227/स/3क/2	0.559
------------	-------

277/3क/2	0.044
----------	-------

277/3क/1	0.109
----------	-------

277/1ख	0.093
--------	-------

277/3ख/1ख	0.076
-----------	-------

277/3ग	0.284
--------	-------

277/2ग	0.101
--------	-------

277/2घ	0.052
--------	-------

277/2ख	0.324
--------	-------

277/1क/1	0.510
----------	-------

277/2क/2/1क/1क	0.607
----------------	-------

277/2क/2/1क/2	0.093
---------------	-------

277/2क/2/2	0.076
------------	-------

280/3अ/1	0.178
----------	-------

280/3ब	0.405
--------	-------

280/1ब/2	0.227
----------	-------

280/2अ	0.328
--------	-------

280/2ब/1	0.445
----------	-------

296/5	0.263
-------	-------

296/6	0.263
-------	-------

281/2	0.057
-------	-------

281/1	0.057
-------	-------

274/3क	0.020
--------	-------

296/1/2ख	0.162
----------	-------

296/1/3/1	0.121
-----------	-------

कुल योग : 6.037

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता हैः—सतना जिले में रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 864-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—म. प्र. शासन/निजी खाता

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—लमतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.531 हेक्टर.

खसरा	क्षेत्रफल
------	-----------

नम्बर	(हेक्टर में)
-------	--------------

(1)	(2)
-----	-----

3अ/1	0.206
------	-------

3ब/2	0.073
------	-------

6/3/1अ/2	0.231
----------	-------

6/3/1अ/1	0.745
----------	-------

190/2ख/1	0.276
----------	-------

कुल योग : 1.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक हैः—सतना जिले में रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 865-भू-अर्जन-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—म. प्र. शासन/निजी खाता		(1)	(2)
(क) जिला—सतना	814/1	814/1	0.040
(ख) तहसील—उचेहरा	792	792	0.465
(ग) नगर/ग्राम—लोहरौरा	1206	1206	0.02
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.608 हेक्टर.	2 किता	2 किता	<u>0.485</u>
खसरा	क्षेत्रफल		
नम्बर	(हेक्टर में)	2 किता	<u>0.145</u>
(1)	(2)	779	0.125
464	0.230	780	0.08
463/2	0.070	2 किता	<u>0.205</u>
552	0.075	778	0.18
2 किता	<u>0.145</u>	777	0.30
463/1	0.200	776	0.012
462/2	0.125	2 किता	<u>0.392</u>
519	0.125	1290	0.040
520	0.405	775	0.15
525	0.045	763/2	0.16
526	0.045	1136/2क	0.42
3 किता	<u>0.495</u>	1141/2	0.025
534	0.125	1187/2	0.28
533	0.140	3 किता	<u>0.725</u>
524	0.105	1189	0.202
532	0.040	1188/2	0.045
2 किता	<u>0.145</u>	1188/1	0.045
549	0.175	1188/1क/1	0.296
550	0.080	1187/1क/2	0.276
551	0.16	1186/1	0.012
810/2	0.065	2 किता	<u>0.288</u>
814/2/2	0.14	1215/1	0.22
814/2/1क	0.14	कुल योग :	<u>6.608</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है।—सतना जिले में रिंग रोड निर्माण हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 866-भू-अर्जन-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—म. प्र. शासन/निजी खाता

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराजनगर
- (ग) नगर/ग्राम—चकबंदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.637 हेक्टर।

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराजनगर
- (ग) नगर/ग्राम—मझवोगवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.279 हेक्टर।

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)

20/1अ 0.061

18/1 0.008

18/2 0.028

20/2ब 0.162

50/1अ/3 0.081

50/1अ/3 0.215

खसरा	क्षेत्रफल	21ब/2	0.012
नम्बर	(हेक्टर में)	50/2ब	0.012
(1)	(2)	49	0.867
45	0.238	44/1क/1ख	0.028
51	0.285	44/1क/1क	0.344
52ब/2	0.057	43/1	0.437
52/ब/1क	0.057	44/1ख	0.024
योग :	<u>0.637</u>	निजी खाता भूमि योग :	<u>2.279</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है।—सतना जिले में रिंग रोड निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 867-भू-अर्जन-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है।—सतना जिले में रिंग रोड निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 01/2010-11/अ-82— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन —

- (क) जिला श्योपुर
- (ख) तहसील विजयपुर
- (ग) ग्राम :— फरारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 111.985 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
338	0.05
339	0.14
340	0.17
354	0.170
355	0.170
356	0.190
357	0.07
358	0.21
359	0.18
416	0.02
417	0.15
419	0.05
420	0.05
421	0.09
422	0.09
423	0.038

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
424	0.11
425	0.14
426	0.18
427	0.17
428	0.31
429	0.18
430	0.28
431	0.05
432	0.17
433	0.30
435	0.110
436	0.10
437	0.23
438	0.25
451	0.360
452	0.23

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
491	0.30
524	0.90
525	0.04
526	0.20
527	0.17
528	0.30
529	0.54
530	0.17
531	0.26
532	0.28
533	0.33
534	0.20
535	0.21
536	0.85
537	0.38
538	0.23
539	0.37
540	0.34
541	0.20
542	0.30
543	0.110
544	0.10
545	0.06
546	0.14
547	0.135
685	0.10

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
686	0.35
687	0.25
688	0.08
689	0.42
690	0.36
691	0.24
701	0.80
702 / 1 मिन.	0.4
702 / 2 मिन	0.39
703	0.15
704	2.02
705	2.09
706	0.17
707	0.11
708	0.23
709	0.12
710	0.84
711	0.91
712	0.52
713	0.63
716	0.12
717	1.30
719	0.37
720	0.13
721	0.94
729	0.10

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
730	0.40
731	0.16
732	0.20
733	0.28
734	0.64
735	0.11
736	0.17
737	0.40
768	0.38
769	0.34
770	0.44
776	0.07
777	0.23
778	0.20
779	0.28
780	0.11
781	0.19
782	0.19
783	0.22
784	0.12
786	0.25
787	0.22
789	0.31
790	0.40
791	0.67

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
792	0.32
793	0.55
794	0.42
795	0.43
796	0.69
797	0.03
798	0.38
799	0.20
801	0.34
802	0.31
804	0.35
805	0.36
806	0.16
807	0.05
808	0.13
809 / मि.न 1	0.41
809 / मि.न. 2	0.21
810	0.21
811	0.42
812	0.11
813	0.11
814	0.39
815	0.23
816	0.40
817	0.47
818	0.29

खसरा नं.	रकवा (हे.में)
(1)	(2)
819	0.15
820	0.87
821	0.36
822	0.74
823	0.85
824	0.43
825	0.44
826	0.46
827 / 1	0.22
827 / 2	0.23
828	0.90
829	0.89
830	0.21
831	0.22
832	0.44
833	0.52
834	0.72
835	0.36
836	0.37
837	0.32
838	0.23
839	0.41
840	0.24
841	0.82

खसरा नं.	रकवा (हे.में)
(1)	(2)
842	0.63
843	0.34
844	0.35
847	0.46
855	0.51
856 / 2	0.31
856 / 1	0.31
857	0.74
858	0.72
859	1.26
860	0.78
862	0.24
863	0.09
864	0.09
867	0.13
999	1.05
1000	0.33
1001 / मिन 1	0.43
1001 / मिन 2	0.42
1002	0.85
1003	0.13
1004	0.70
1005	0.57
1006	0.78
1007	0.64

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1008	0.32
1009	0.58
1010	0.55
1011	0.24
1012	0.23
1013	1.77
1014	0.35
1015	0.25
1016	0.25
1018	0.35
1019	0.38
1020	0.36
1021	0.28
1022	0.31
1023	0.34
1025	0.07
1026	0.73
1027	0.58
1028	0.22
1029	0.20
1030	0.20
1031	0.63
1032	0.34
1033	0.69

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1034 / मि1	0.24
1034 / मि2	0.24
1035	0.34
1036	0.28
1037 / मिन 1	0.41
1037 / मिन 2	0.42
1038	0.41
1039	0.83
1040	0.83
1041	0.38
1042	0.38
1043	0.07
1044	0.05
1045	0.06
1046	0.32
1047	0.34
1048	0.15
1049	0.24
1050	0.59
1051	0.34
1052	0.14
1053	0.15
1054	0.40
1055	0.10
1056	0.27

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
1057	0.10
1058	020
1060	0.43
1061	0.42
1062	0.38
1063	0.29
1064	0.48
1065	0.25
1066	0.25
1067	0.19
1068	0.21
1069	0.31
1070	0.55
1072	0.55
1073 / मि1	0.31
1073 / मि2	1.25
1074	0.81
1075	0.55
1076	1.07
1077 / 1	0.55
1077 / 2	0.54
1078	1.18
1079	0.51
1080	0.58

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
1082	0.57
1083	0.08
1084	0.26
1086	0.21
1087	0.33
1088	0.78
1089	0.33
1090	0.39
1167	0.56
1168	0.31
1169	1.04
1170	1.64
1175	0.27
1176	3.40
1177	3.13
1178	0.25
1179	0.85
1180	0.25
1181	1.11
1182 / मि1	0.13
1182 / मि2	0.12
योग	111.985

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — अपर कक्टेटो बांध परियोजना ढूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण), भू—अर्जन अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 02/2010-11/अ-82— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू—अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन —

- (क) जिला श्योपुर
- (ख) तहसील विजयपुर
- (ग) ग्राम :— खुरका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 197.132 हेक्टेयर

खसरा न.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
275	0.08
276	0.84
277	0.077
293	0.27
294	0.32
295	0.03
296	0.02
297	0.02
299	0.20
300	0.20
301	0.05
302	0.08
303	0.02
304	0.36
305	0.12
306	0.12
307	0.16

खसरा न.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
308	0.22
309	0.15
312	0.23
313	0.07
314	0.44
315	0.07
316	0.19
317	0.17
318	0.07
319	0.08
320	0.60
321	0.50
322	0.04
323	0.24
324	0.13
325	0.16
335	0.095

खसरा न.	रकवा (हे. मे.)
(1)	(2)
336	0.40
337	0.46
338	0.18
339	0.10
340	0.11
341	0.25
342	0.41
343	0.59
344	0.28
345	0.34
346	0.15
347	0.22
348	0.15
349	0.28
350	0.07
351	0.02
352	0.35
353	0.26
354	0.60
355	0.16
356	0.148
386	0.33
387	0.52
388	1.04
389	0.150
390	0.29

खसरा न.	रकवा (हे. मे.)
(1)	(2)
391	0.58
392	2.500
393	0.62
394	0.35
395	1.00
396	0.58
397	0.68
398	0.08
399	0.170
400	1.440
401	0.150
402	0.04
403	0.58
404	0.22
405	0.11
414	0.77
415	0.54
417	0.44
418	0.28
419 / 1	0.75
419 / 2	0.32
420	0.350
421	0.06
422	0.07
423	0.08
425	0.37

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
426	0.08
427	0.300
428	0.260
429	0.250
430	0.20
434	0.44
435	0.26
436	1.280
437	0.08
438	0.150
439	0.650
440	0.10
441	0.06
442	0.04
443	0.08
444	0.03
445	0.67
446	0.03
447	0.02
448	0.35
449	0.21
450	0.10
451	0.28
452	0.28
453	0.28

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
462	0.400
463	0.120
464	0.020
465	0.12
466	1.450
467	1.20
472	0.250
473	0.260
474	1.100
475	0.65
476	0.18
477	0.21
478	0.08
479	0.06
482	0.20
485	0.47
486	1.25
487	0.57
488	0.41
489	1.21
490	0.35
491	0.85
492	0.100
493	0.15
494	0.19

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
495	1.41
497	0.31
498	0.30
499	0.79
500	0.62
502	0.07
503	0.14
504	0.06
505	0.71
507	0.25
511	0.49
513	0.29
514	0.10
515	0.30
520	0.58
522	0.19
523	0.33
524	0.04
525	0.03
526	0.05
527	0.02
528	0.06
529	1.040
530	0.06
532	0.43
533	0.39

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
534	0.05
536	0.52
537	0.31
538	0.20
539	0.32
540	0.25
541	0.34
542	0.42
543	0.31
544	0.36
545	0.09
546 / 1	0.72
546 / 2	0.72
547	0.42
557	0.50
577 / 3	0.20
560	0.21
561	0.20
562	0.30
563	0.30
564	0.19
565	0.19
566	0.48
567	0.17
568	0.18
569	0.08

खसरा नं.	रकवा (हे.में)
(1)	(2)
573	0.03
574	0.08
575	0.53
577/1	0.47
577/2	0.74
577/3	0.20
577/4	0.74
579	0.75
580	0.03
581	1.66
582	0.59
584	0.10
585	0.05
586	0.58
587	0.22
588	0.15
589	0.07
590	1.15
591	0.31
592	0.01
593	0.46
595	0.28
597	0.46
599	0.48
608	0.001

खसरा नं.	रकवा (हे.में)
(1)	(2)
671	0.20
674	0.78
675	0.05
678	0.12
693	0.24
700	0.12
709	0.01
710	0.03
711	0.08
713	0.03
720	0.35
721	0.16
724	0.21
725	0.24
727	0.06
728	0.23
730	0.2
732	0.20
733	0.50
734	0.05
735	0.83
736	0.62
740	0.48
741	0.30
743	0.74

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
746	0.37
749	0.31
751	0.37
752	0.10
756	0.17
758	0.02
759	0.56
760	0.06
763	0.37
765	0.11
767	0.31
768	0.23
769	0.03
770	0.22
771	0.20
772	0.72
775	0.43
777	0.19
781	0.32
783	1.24
784	0.11
788	0.22
789	0.22
790	0.04
792	0.21
800	0.16

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
801	0.80
803	0.68
825	0.08
826	0.64
827	0.14
828	0.228
829	1.148
834	0.42
838	0.52
839	0.45
840	0.21
841	0.25
842	0.51
843	0.35
844	0.41
845	0.35
846	0.589
847	0.40
848	0.29
849	0.48
850	0.24
851	1.46
852	0.80
853	0.66
854	0.71
856	1.04

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
858	2.58
861	0.50
862	0.94
863	0.28
868	0.40
869	0.97
870	0.43
872	0.57
873	0.83
874	0.86
875	1.07
876	0.60
877	0.74
878	0.88
879	0.02
880	0.80
881	0.07
882	0.34
883	0.50
884	0.44
885 / 1	0.60
885 / 2	0.36
886	0.03
887	0.24
888	0.35
889	0.30

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
890	0.08
892	0.33
894	0.75
895	0.30
896	0.88
897	0.23
898	0.23
899	0.20
900	0.16
901	1.00
902	0.30
904	0.65
905	0.40
909	0.22
910	0.32
911	0.32
912	0.37
913	0.28
914	0.25
915	0.62
916	0.16
917	0.37
918	0.16
919	0.18
920	0.48
923	0.93

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
924	0.09
925 / 2	0.05
926	0.34
927	0.76
928	0.26
929	0.28
930	0.24
931	0.01
933	0.01
934	0.42
936	0.29
937	0.42
938	0.30
939	0.15
941	0.25
942	0.24
945	0.54
946	0.57
947	0.21
948	1.0
949	0.91
950	0.09
951	0.81
954	0.77

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
955	0.31
956	0.31
957	0.40
958	0.31
959	0.16
960	0.16
961	0.17
962	0.76
963	0.17
964	0.04
965	0.10
966	0.15
967	0.10
968	0.07
969	0.35
970	0.07
971	0.10
972	0.22
977	0.28
978	0.18
979	0.40
980	0.10
981	0.62
982	0.58

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
983	0.12
984	0.47
985	0.05
986	0.03
987	0.61
988	0.05
989	0.84
990	0.71
991	0.27
992	0.77
993	0.19
996	0.53
999	0.36
1001	0.23
1002	0.30
1003	0.31
1004	0.19
1005	0.68
1007	0.12
1008	0.31
1009	0.40
1011	0.26
1012	0.25
1014	0.35

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1015	0.12
1016	0.35
1017	0.62
1018	0.09
1019	0.14
1020	0.15
1021	0.23
1022/1	0.02
1022/2	0.30
1023	0.57
1024	0.22
1025	0.50
1026	0.06
1027	0.34
1029	0.46
1032	0.890
1035	0.44
1036	0.37
1037	0.25
1038	0.11
1039	0.21
1040	0.35
1041	0.20
1042	0.19

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1043	0.24
1044	0.25
1047	0.30
1049	0.07
1050	0.10
1053	0.32
1054	0.27
1055/1	0.22
1055/2	0.11
1056	0.54
1057/1	0.05
1057/2	0.06
1058/1	0.14
1058/2	0.04
1058/3	0.02
1059	0.19
1060	0.14
1061/1	0.16
1061/2	0.15
1062	0.22
1063	0.63
1064	1.37
1068	0.20

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1069	0.59
1076	0.62
1080	0.85
1081	0.35
1082	0.37
1083	1.21
1087	0.20
1088	0.26
1089	0.11
1094	0.60
1095	0.62
1096	0.71
1098	0.20
1107	0.05
1109	0.32
1110	0.72
1112	0.32
1113	0.18
1116	0.52
1117	0.50
1118	0.32
1124	0.31
1126	0.73

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1127	0.10
1128	0.58
1131	0.23
1136	0.74
1138	0.74
1139	0.15
1140	0.08
1142	0.98
1148	0.28
1149	0.12
1150	0.60
1151	0.64
1153	0.49
1156	0.45
1157	0.25
1167	0.30
1172	0.46
1176	0.30
1178	0.25
1179	0.35
1180	0.21
1181	0.21
1183	0.60

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1185	0.64
1186	0.05
1187	0.09
1188	0.24
1189	0.23
1190	0.24
1193	0.30
1194	0.31
1197	0.66
1199	0.80
1200	0.13
1201	0.19
1202	0.25
1203	0.18
1204	0.38
1205	0.91
1207	0.01
1209	0.01
1211	0.17
1212	0.25
1213	0.91
1215	0.58
1217	0.37

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
1218	0.35
1219	0.17
1221	0.70
1223	0.12
1224	0.08
1225	0.10
1226	0.13
1228	0.51
1230	0.03
1232	1.04
1234	1.35

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
1235	0.08
1236	0.02
1237	0.03
1238	0.31
1239	0.46
1240	0.38
1241	0.32
1244	0.46
1245	0.34
कुल योग	197.132

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – अपर ककेटो बांध परियोजना ढूब क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण), भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 03 / 2010-11 / अ-82— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन —

- (क) जिला श्योपुर
- (ख) तहसील विजयपुर
- (ग) ग्राम :— सेहुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 175.685 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
12	0.35
13	0.58
14	0.16
15	0.18
16	0.04
17	0.08
32	0.61
37/2	0.10
37/3	0.55
38	2.02
39	1.90
40/मि.1	1.36
40/मि.2	0.63
41	0.93
42	1.75
43	0.23

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
44	0.23
45	1.04
46	0.73
47	0.84
48	1.04
50	0.37
51	0.37
52	1.67
53 दुमट II	0.53
54 दुमट II	0.53
55 दुमट II	0.57
56 दुमट II	0.53
57 दुमट II	0.49
58 दुमट II	0.54
59 दुमट II	0.53
60/1	0.27

खसरा नं.	रकवा (हे.मे०)
(1)	(2)
60 / 2	0.26
61 दुमट II	0.55
62 दुमट II	0.55
63 / 1	0.15
63 / 2	0.08
63 / 3	0.17
67 दुमट II	1.82
68 दुमट II	2.09
69	1.75
70	0.29
71	0.115
72 दुमट II	0.05
73 दुमट II	1.59
74 दुमट II	0.45
75 दुमट II	0.28
76 दुमट II	0.40
77 / मिन. 1	0.96
77 / मिन.2	0.87
78 दुमट II	0.08
79 दुमट II	0.63
80 दुमट II	0.34
82	0.23
83	0.20
87	0.05

खसरा नं.	रकवा (हे.मे०)
(1)	(2)
89 दुमट II	0.02
108	0.08
115	0.92
117	0.75
120	0.10
129	0.45
130	0.40
132	0.04
133	0.28
177 दुमट I	0.06
178 दुमट I	0.03
182	0.08
184 दुमट II	0.04
185 दुमट II	0.31
186	0.06
187 दुमट II	0.07
188 दुमट I	0.27
189	0.01
190	0.04
193 दुमट I	0.03
194 दुमट I	0.30
195	0.45
222	0.02
224	0.15

खसरा नं.	रकवा (हे. मे.)
(1)	(2)
226 दुमट II	0.26
241	0.50
242	1.05
243 दुमट II	1.53
244 दुमट II	0.54
245 दुमट II	0.43
251 /मिन 1	0.16
251 /मिन.3	0.16
251 /मिन. 4	0.15
252 / 1 दुमट II	0.22
252 / 2	0.21
253 / 1 दुमट II	0.30
253 / 2	0.30
255 दुमट II	0.49
256 मिन 1	0.16
256 मिन 2	0.16
256 मिन 3	0.16
256 मिन 4	0.15
257 मिन 1.	0.05
257 मिन 2	0.05
257 मिन 3	0.63
257 मिन 4	0.05
257 मिन 5	0.06
258 दुमट II	0.54

खसरा नं.	रकवा (हे. मे.)
(1)	(2)
259 / 1	0.45
259 / 2	0.45
260 दुमट II	0.57
261 दुमट II	0.03
262 दुमट II	0.31
263	0.63
264 मिन. 1	0.21
264 मिन. 2	0.21
264 मिन. 3	0.21
264 मिन 4	0.21
265	1.32
266	0.63
267	1.42
268	0.21
275	0.45
276	0.25
278	0.75
280	0.83
281	1.46
284 मार II	1.13
286	0.71
287 मार II	0.36
289 दुमट I	0.42
291 दुमट II	0.37

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
292 दुमट I	0.65
293 दुमट I	0.65
294 मार II	0.68
296 मार II	0.72
297 दुमट I	0.23
298 दुमट I	0.33
299 दुमट I	0.38
300दुमट I	0.18
302 दुमट I	1.37
303दुमट I	0.57
305दुमट I	0.45
308	0.10
309 मार II	0.69
312	0.65
313 दूमट II	0.78
314 मार II	0.26
315 दूमट II	0.31
316 दूमट II	0.34
317 दूमट II	0.44
318 दूमट II	0.35
319 दूमट II	0.66
320 दूमट II	0.41
326 पडवा II	0.17

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
327 पडवा II	0.27
330 दूमट II	0.75
332 राकड I	0.18
335 राकड I	0.43
336 दूमट II	0.22
338 दूमट II	0.22
339 दूमट II	0.27
340 दूमट II	0.22
342 पडवा 2	0.18
346	0.43
351	0.21
352 / मिन.1	0.39
352 / मिन. 2	0.41
353.	0.81
354	0.21
355 दुमट II	0.31
356 दुमट II	0.07
357 दुमट II	0.03
358	1.05
359 दुमट II	0.60
360 दुमट II	0.80
361	0.80

खसरा न.	रकवा (हे.मैं)
(1)	(2)
363 दुमट II	1.22
365 दुमट II	0.98
366	0.32
367 / 1	0.16
367 / 2	0.51
368	0.66
370	0.21
371	1.07
372	0.05
373	0.95
374	0.20
375	1.00
378 मिन.1	0.20
378 मिन. 2	0.06
379	0.15
381	0.87
382	0.38
383	1.19
384	1.25
385	0.98
386 दुमट II	0.50
387	1.25
389 / 1	0.74
389 / 2	0.74

खसरा न.	रकवा (हे.मैं)
(1)	(2)
391मिन. 1	0.54
391 मिन. 2	0.55
392 मिन.1	0.42
392 मिन. 2	1.01
393 मिन.1	0.42
393 मिन.2	0.22
394 दूमट II	0.28
396	1.55
399 दूमट II	0.94
400 दूमट II	0.87
401	0.25
402 दूमट II	0.79
403 / 1मि दूमट II	0.84
403 / 2मि दूमट II	0.41
404 दूमट II	0.57
405 दूमट II	1.46
406 दूमट II	1.19
407 दूमट II	1.25
408 दूमट II	1.92
409 दूमट II	0.85
410 / मिन.1	0.30
410 / मि..2दूमट II	0.30
411 दूमट II	1.15
412 दूमट II	0.55

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
413 दूमट II	1.02
414 दूमट II	1.02
415 दूमट II	0.60
416 दूमट II	0.21
417	1.04
418 दूमट II	0.63
419 दूमट II	0.42
420 दूमट II	0.84
421	0.55
423	0.63
424	0.38
426	1.24
429	0.04
431	0.52
432	0.39
433	0.25
434	0.70
436	0.16
437 मिन.2	0.90
437 / 3	0.10
438	0.22
439	0.05
441दूमट II	0.61

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
443दूमट II	0.31
444दूमट II	0.28
445दूमट II	0.69
446 आपासी I	0.25
447 आपासी I	0.19
448आपासी I	0.62
449 दुमट I	0.02
453 दुमट II	0.44
456दुमट II खैरू	0.4
459 दुमट II	0.72
461	0.03
462आपासी I	0.22
463आपासी I	0.31
464आपासी I	0.31
465 आपासी I	0.43
468	0.66
470 आपासी I	0.50
471आपासी I	0.26
474 आपासी I	0.49
475आपासी I	0.57
476 आपासी I	0.23
477 आपासी I	0.41
479 दुमट II	0.49

खसरा न.	रकवा (हे.मैं)
(1)	(2)
481	0.23
482	0.50
483	0.19
484	0.19
485	0.80
487 आपासी II	0.18
488 आपासी II	0.62
489 आपासी II	0.62
491	0.26
492	0.49
496 / 1	0.28
496 / 2	0.54
497 दुमट II	0.83
499	0.79
500 दुमट II	1.09
501	1.05
502 दुमट I	0.85
503 दुमट I	0.18
504 दुमट I	0.18
505	0.59
507	0.13
508	0.17
509	0.32
510	0.31

खसरा न.	रकवा (हे.मैं)
(1)	(2)
511	0.32
512 दुमट I	0.61
514 दुमट I	0.84
515 दुमट I	0.43
516	0.21
517 दुमट I	0.45
518 दुमट I	0.16
519 दुमट I	0.26
520 दुमट I	0.94
521 दुमट I	0.75
522 दुमट I	0.03
524 दुमट I	0.02
525 दुमट I	0.21
526 दुमट I	0.14
528	0.89
529 दुमट II	0.37
532 दुमट I	0.35
533	0.71
534 दुमट I	0.10
535 दुमट I	0.24
538	0.02
539	1.03
541 दुमट I	0.44
542 दुमट I	0.46

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
543 दुमट I	0.40
544 दुमट I	0.14
547 दुमट I	0.21
549 दुमट I	0.14
554 आपासी I	0.18
555 दुमट I	0.38
556 दुमट II	0.02
560 आपासी I	0.19
561 आपासी III	0.27
562 आपासी I	0.51
563 आपासी I	0.25
564 आपासी I	0.68
565 आपासी I	1.14
566 आपासी I	0.43
567 दुमट I	0.24
568 दुमट I	0.31
569 आपासी I	0.25
570 आपासी I	0.24
571 आपासी I	0.49
572 आपासी I	0.81

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
573 आपासी I	0.66
576	0.34
576 / 601	0.57
576 / 602	0.30
576 / 603	0.22
577	0.07
579	0.30
581	0.26
582	0.17
583 दुमट I	0.51
584	0.28
585 आपासी I	0.40
586 दुमट I	0.37
588	0.02
590	0.91
591 दुमट I	1.33
594 आपासी I	1.17
598 आपासी I	0.54
247 पडवा II	0.12
योग	175.685 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – अपर ककेटो बांध परियोजना डूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण), भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 04/2010-11/अ-82— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन —

- (क) जिला श्योपुर
- (ख) तहसील विजयपुर
- (ग) ग्राम :— धोवनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 131.094 हेक्टेयर

खसरा न.	रकवा (हे.में)
(1)	(2)
34/2	1.233
34/3 दुमट II	1.463
34/4	1.463
34/5	0.836
36/2 मिन	0.37
36/2 दुमट मिन. II	0.73
36/3	0.73
36/4	0.42
42/1	0.836
42/2	0.836
42/3	0.679
42/4	0.836
42/5 मिन 2 डॉडा I	2.09
42/5 मिन-1 डॉडा I	0.418
62	0.533

खसरा न.	रकवा (हे.में)
(1)	(2)
63	0.585
65	0.310
68	1.087
69/1 मि.1	0.867
69/1 मि.2	0.868
69/1 मि. 3	0.867
69/2 मि. 1 डॉडा I	0.209
69/2 मि.2	0.209
69/2 मि. 3	0.209
70/2	0.512
70/3	0.637
70/4, 328/2 दुमट II	0.418
70/5 328/3	0.491
70/6	0.209
70/7	0.136

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
71	0.836
72 मि.2	0.941
72 मि. 1	0.941
73 / 1	2.115
72 मि. 3	0.836
73 / 2	0.211
76 / 1	0.20
76 / 2	0.37
88	0.773
90	0.282
91	0.031
92	0.523
107	0.250
111	0.397
112	0.334
113	0.418
114	0.470
115	0.042
116 / 1	0.241
116 / 2	0.115
116 / 3	0.125
117	0.387
118	0.836
119 / 1	0.668

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
119 / 2	0.345
119 / 3	0.335
125	0.564
126	0.752
127	0.209
128 आपासी II	0.219
129 / आपासी.2	0.303
130 आपासी.3	0.334
131	0.282
132	0.334
133 आपासी.3	0.261
135 / 1	0.470
135 / आपासी 2	0.449
137 / आपासी.2	0.178
138	0.031
139 / आपासी.4	0.52
140	0.063
142 / 1 आपासी2	0.23
142 / 2	0.219
145	0.167
146 / 1 आपासी.2	0.293
146 / 2 आपासी.2	0.293
147 / 1 आपासी.2	0.533
147 / 2 आपासी.2	0.543

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
148 / 1 आपासी.1	0.334
148 / 2 आपासी1	0.345
149 / 1 आपासी1	0.178
149 / 2 आपासी.1	0.178
150	0.094
153	0.031
154 / 1	0.021
154 / 2	0.01
155 / 1	0.125
155 / 2	0.230
156 आपासी.1	0.491
157	0.021
158 / 1	0.199
158 / 2	0.136
158 / 3	0.073
158 / 4	0.167
160 आपासी.3	0.209
161	0.188
162	0.23
163	0.178
164	0.188
166 आपासी1	0.679
167	0.314
168 आपासी.2	0.303

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
169 आपासी.1	0.387
170	0.136
171 आपासी 1	0.125
172 आपासी 1	0.105
173 आपासी 1	0.491
175 आव. 1	0.397
176 आव.1	0.627
179	0.408
180 आपासी 1	0.334
181 आपासी 1	0.157
182 आपासी 1	0.157
183	0.366
184	0.230
185	0.272
186	0.355
188	0.366
189	0.543
190 / 1	0.47
190 / 2	0.261
191	0.261
193	0.47
194	0.460
196 आपासी.2	0.261
197 आपासी. 2	0.282

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
198	0.533
202 पडवा एक	0.700
203 / 1 आपासी.1	0.188
203 / 2	0.418
204	0.575
205 आपासी.1	0.167
206 आपासी1	0.188
207 आपासी.1	0.209
208 आपासी.1	0.240
209 आव.1	0.261
210 आपासी.1	0.261
213 आपासी.1	0.470
214 आपासी.1	0.261
215 आपासी.1	0.345
216 आव.1	0.418
217आव.1	0.084
218 आव.1	0.261
220	0.439
221	0.261
222	0.460
223 / 1 डोंडा	0.523
223 / 2 मि.2	0.219
224आ.1	0.209
225 आव.1	0.209
226 आपासी 1	0.115
227आपासी 1	0.167

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
228आव.1	0.397
229 / 1 आपासी .1	0.261
229 / 2	0.230
234	0.575
235 आपासी.1	0.157
236 आपासी.1	0.470
237 आपासी 1	0.491
244	0.199
245	0.157
246 आपासी .1	0.157
247 आपासी 1	0.178
248 आपासी 1	0.355
249 गौहान 3	0.481
250 आपासी.1	0.272
251	0.47
253	0.909
255	0.794
257 आव.1	0.376
258 आपासी 1	0.418
259 आपासी 1	0.606
260 आपासी 1	0.105
261 आपासी 1	0.261
262 आपासी 1	0.230
267	0.314
268	0.387
269	0.084

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
270	0.146
271 पडवा दो	0.293
272 पडवा दो	0.136
273 / 1	0.251
273 / 2	0.240
274	0.366
276 / 1	0.251
276 / 2	0.251
276 / 3	0.251
276 / 4	0.251
277 / 1 + 278 / 4	0.251
277 / 2 + 278 / 3	0.240
278 / 1 पडवा दो	0.439
285 / 2	0.752
287 / 1	0.230
287 / 2	0.209
288 / 1	0.261
288 / 2	0.021
292 मि.1	0.314
292 मि.2	0.136
293 / 1	0.021
297, 298	0.324
299 / 1	0.324
299 / 2 मि.1	0.063
299 / 2 मि.2	0.146

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
300 मि.1	0.042
300 मि.2	0.042
301 मि.1	0.057
301 मि.2	0.058
302 मि.1	0.230
302 मि.2	0.230
303 / 1 पडवा दो	0.251
303 / 3	0.251
304	0.209
305	0.094
306	0.021
307	0.052
308	0.115
309	0.282
312	0.481
313	0.209
314	0.261
315	0.366
316 / मिन.1	0.209
316 / मिन.2	0.324
321 मि.1	0.068
321 मि.2	0.068
324	0.167
325	0.136
328 / 1 मि.1	0.836

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
328 / 1 मि.2	0.825
336	0.136
338	0.052
339	0.031
340	0.052
341	0.063
348	0.031
352	0.052
353	0.063
354	0.052
355	0.01
370 / 2	0.094
371	0.010
372	0.052
373	0.010
374	0.010
375	0.021
376	0.073
377	0.073
379	0.188
381	0.275
382	0.151
384	0.58
385+386	4.28
387	0.543
388+389	0.397

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
390	0.481
391	0.627
392	0.355
393	0.167
394	0.334
395 / 1	0.167
395 / 2	0.157
395 / 3	0.105
395 / 4	0.167
395 / 5	0.031
397 / 1 मि.2	1.672
397 / 1 मि.3	1.35
397 / 2	1.254
398	0.355
403 मि.2	0.198
404	0.251
405	0.178
406	0.178
407	0.92
408	0.06
414	0.105
415	0.178
416	0.261
417	0.063
418	0.251
419	0.188

खसरा न.	रकवा (हे.में)
(1)	(2)
420	0.115
421	0.483
431	0.105
441 मार 2	0.320
443	0.031
444 मि.1	0.387
444 मि.2	0.386
445	0.637
446	0.366
447	0.481
448	0.470
453 / मिन. 1	0.235
453	0.235
454 मिन.1	0.277
454 मिन.2	0.277
455 मिन.1 डॉडा	0.209
455 मिन.2	0.209
457 डॉडा II	0.261
458	0.376
459	0.199
460	0.240
463	0.941
464	0.763
465	0.679
466	0.627

खसरा न.	रकवा (हे.में)
(1)	(2)
467 / 1	0.180
467 / 2	0.732
467 / 3	1.26
468	0.345
469	0.366
470	0.334
471	0.240
473	0.25
474 / 1	0.282
474 / 2	0.094
474 / 3	0.105
474 / 4	0.094
475	0.063
476 / 1	0.083
476 / 2	0.084
477	0.219
478	0.042
479	0.026
495 मि.1खोर II	0.031
495 मि.2	0.031
496	0.023
497 / 1	0.026
497 / 2	0.026
497 / 3	0.021
503	0.40

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
504	0.073
505	0.136
506	0.282
512	0.063
513	0.188
514	0.031
515	0.030
516	0.027
517	0.25
521	0.575
522	0.397
524	0.449
525	0.105
526	0.627
527 / 1	0.46
527 / 2	0.648
530	0.08
531	0.201
563	0.073
565 / 1	0.01
565 / 2	0.021
566 / 1	0.073
566 / 2	0.063
569	0.115

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
570	0.01
573	0.021
574	0.042
572 / 2, 580 / 1, 586 / 10	0.376
575	0.084
576	0.084
577	0.031
578	0.031
579	0.010
581 / 1	0.272
581 / 2	0.805
582	0.105
582 / 2	0.261
583 / 1	0.199
583 / 2	0.105
583 / 3, 584	0.366
585 / 1	0.502
585 / 2	0.627
586 / 1	0.157
586 / 2 मिन.2	0.042
586 / 3	0.324
586 / 8	0.063
586 / 9	0.042
586 / 11	0.073

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
586 / 12 मि.1	0.022
586 / 12 मि. 3	0.01
593	0.157
594 / 1	0.314
586 / 12 मि.2	0.01
594 / 2	0.042
595 / 1	0.721
595 / 2	0.178
596 / 1	0.188
596 / 2	0.157
597	0.846
598	0.209
599 / 1	0.175
599 / 2	0.186
599 / 3	0.158
599 / 4	0.210
599 / 5	0.089

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
599 / 6	0.106
599 / 7	0.172
599 / 8	0.082
599 / 9	0.055
602 / 1	0.14
602 / 2	0.025
603 / 2	0.063
603 / 3	0.084
603 / 4	0.020
603 / 5	0.052
603 / 6	0.084
603 / 7	0.03
603 / 8	0.02
603 / 9	0.05
632	0.15
646 / 1	0.27
646 / 2	0.27
योग	131.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – अपर ककेटो बांध परियोजना डूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण), भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 05/2010-11/अ-82— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन —

- (क) जिला श्योपुर
- (ख) तहसील विजयपुर
- (ग) ग्राम :— विनेगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 19.32 हेक्टेयर

खसरा न.	रकवा (हैंडे)
(1)	(2)
200	0.200
210	0.345
215	0.105
216 + 217	0.167
218	0.167
219	0.052
220	0.052
221	0.073
222	0.230
227	0.355
228	0.157
229	0.387
230	0.439
231	0.169
275	0.200
278	0.387

खसरा न.	रकवा (हैंडे)
(1)	(2)
280	0.585
281	0.376
286 +287	0.543
288	0.543
290	0.418
291	0.105
292	0.031
293	0.199
294	0.031
300 / 2मि.	0.48
301	0.366
303	0.157
305	0.052
306	0.084
308	0.141
309	0.031

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
312	0.303
313	0.199
314	0.428
315	0.387
316 मि.1	1.463
316 मि.2	1.672
317 / 1	0.972
317 / 2	1.045
318	0.418

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
319	1.630
325	1.494
326	1.045
327 मि.1	0.157
327 मि.2	0.157
328	0.052
330 मि. 2	0.271
योग	19.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – अपर कफेटो बांध परियोजना ढूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण), भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 06/2010-11/A-82— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन —

- (क) जिला श्योपुर
- (ख) तहसील विजयपुर
- (ग) ग्राम :— नेहरखेडा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 184.47 हेक्टेयर

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
24	1.31
26	0.01
27	0.88
29	0.45
30	0.11
31	0.17
32	0.26
33	0.43
34	0.74
35	0.12
36	0.20
37	0.41
38	0.79
47	0.35
53	0.18
54	0.13
55	0.16
56	0.24
57	0.12
58	0.08
70	0.08
72	0.13
73	0.27

खसरा न.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
75	0.05
76	0.08
79	0.07
80	0.21
81	0.14
82	0.12
83	0.19
84	0.13
85	0.15
86	0.27
92	0.02
93	0.07
94	0.16
95	0.06
97/1	0.07
97/2	0.03
101	0.01
102	0.07
103	0.15
104	0.05
105	0.06
106/1	0.10
106/2	0.11

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
107	0.07
108	0.05
109	0.02
110	0.06
111	0.07
112	0.05
113	0.19
114	0.19
115/1	0.08
115/2	0.13
117	0.33
122	0.05
127	0.35
133	0.98
151	0.04
153	0.06
154	0.09
155	0.01
156	0.02
157	0.04
158	0.10
160	0.03
161	0.03
162	0.04
163	0.04
165/1	0.01
165/2	0.04
166	0.02
167	0.02
170	0.01
171	0.05
172	0.04
174	0.04
175	0.04

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
176	0.04
177	0.05
178	0.02
179	0.05
180	0.04
181	0.01
183	0.04
184	0.04
188	0.05
191	0.03
192	0.03
193	0.03
194	0.02
195	0.08
196	0.09
197	0.17
198	0.17
199	0.17
200	0.12
201	0.18
202	0.28
203	0.30
204	0.25
205	0.02
207	0.40
208	0.02
210	0.10
211	0.07
212	0.04
213	0.04
214	0.05
217/1	0.01
217/2	0.01
217/3	0.01

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
217 / 4	0.01
217 / 5	0.01
218	1.07
219	0.02
220	0.18
222	0.03
223	0.02
224	0.03
225 / 1	0.05
225 / 2	0.04
226	0.03
227	0.02
239	0.36
240	0.02
243	0.07
244	0.12
245	0.10
247	0.01
248	0.02
249	0.15
250	0.58
251	0.37
252	0.34
253	0.03
254	0.04
255	0.39
256	0.20
257	0.21
258	0.11
259	0.05
260	0.27
261	0.06
262	0.05
263	0.06

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
264	0.04
265	0.02
266	0.05
267	0.03
268	0.03
269	0.03
270	0.05
271	0.10
272	0.11
273	0.10
274	0.23
275	0.30
276	0.02
277	0.01
278	0.21
279	0.18
280	0.14
281	0.05
282 / 2	0.05
283	0.01
284	0.24
285	0.29
286	0.27
287	0.13
288	0.13
289	0.13
290	0.15
291	0.13
292	0.13
293	0.14
294	0.35
295	0.31
296	0.16

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
297	0.25
298	0.02
299	0.08
300	0.02
301	0.05
302	0.03
303	0.04
304	0.05
305	0.11
308	0.06
309	0.10
310	0.08
311	0.08
312	0.12
313	0.29
314	0.33
315	0.31
316	0.23
317	0.37
320	0.17
321	0.28
323	0.13
324	0.18
325	0.09
326	0.09
327	0.09
328	0.18
329	0.39
330	0.16
331	0.18
332	0.14
333	0.18
334	0.26

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
335	0.24
336	0.18
337	0.14
338	0.19
342	0.26
343	0.56
344	0.36
345	0.30
346	0.17
347	0.18
348	0.37
349	0.16
350	0.14
351	0.30
352	0.22
353	0.02
354	0.69
356	0.19
357	0.18
358	0.02
359	0.05
360	0.11
361	0.11
362	0.13
363	0.18
364	0.29
365	0.36
367	0.12
368	0.20
369	0.11
370	0.10
371	0.10
372	0.17

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
373	0.07
374	0.20
375	0.17
376	0.33
377	0.20
378	0.20
379	0.18
380	0.11
381	0.11
382	0.09
383	0.12
384	0.02
386	0.02
387	0.18
389	0.23
390	0.05
391	0.18
392	0.06
393	0.19
394	0.04
395	0.23
396	0.24
397	0.19
398	0.20
399	0.20
400	0.24
402	0.01
403	0.27
404	0.13
407	0.16
408	0.01
409	0.13
410	0.14
411	0.14
412	0.13

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
413	0.12
414	0.14
415	0.12
416	0.14
417	0.26
418	0.02
419	0.19
420	0.19
421	0.31
422	0.06
423	0.02
424	0.24
425	0.04
426	0.15
427	0.10
428	0.04
429	0.44
430	0.25
431	0.24
432	0.24
433	0.32
434	0.28
436	0.24
437	0.24
438	0.15
439	0.54
440	0.67
441	0.16
442	0.29
443	0.13
444	0.14
446	0.08
447	0.29
448	0.05
449	0.26

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
450	0.25
451	0.48
452	0.01
453	0.39
454	0.15
455	0.06
456	0.15
457	0.21
458	0.06
459	0.38
460	0.07
461	0.34
462	0.12
463	0.13
464	0.18
465	0.03
466	0.15
468	0.18
470	0.32
471	0.24
472	0.40
473	0.42
474	0.12
475	0.15
476	0.12
477	0.18
478	0.17
479	0.39
480	0.21
481	0.22
482	0.11
483	0.20
484	0.21
485	0.10

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
486	0.11
487	0.10
488	0.10
489	0.24
490	0.02
491	0.23
492	0.24
493	0.38
494	0.36
495	0.26
496	0.26
498	0.23
499	0.41
501	0.21
502	0.94
504	0.29
505	0.01
506	0.02
507	0.01
508 / 1	0.08
508 / 2	0.04
509	0.23
510	0.20
511	0.61
512	0.36
514	0.22
515	0.31
516	0.24
517	0.20
518	0.13
519	0.09
520	0.11
523	0.17
524	0.27

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
529	0.12
530	0.03
531	0.20
533	0.18
534	0.29
535	0.14
549	0.40
550	0.39
552	0.10
553	0.32
560	0.26
561	0.13
562	0.20
563	0.40
564	0.24
565	0.15
566	0.15
567	0.20
568	0.35
570	0.16
572	0.16
574	0.27
577	0.04
578	0.24
581	0.33
582	0.25
583	0.22
584	0.12
585	0.17
586	0.68
587	0.43
588	0.24
589	0.21
590	0.06
591	0.07

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
592	0.25
593	0.10
596	0.03
597	0.21
598	0.04
599	0.17
600	0.22
601	0.40
602	0.26
603	0.85
604	0.17
605	0.15
606	0.24
607	0.05
610	0.07
611	0.03
612	0.28
613	0.04
614	0.13
615	0.26
616	0.23
619	0.06
620	0.14
623	0.13
625	0.30
626	0.06
627	0.11
628	0.11
630	0.23
631	0.22
632	0.16
633	0.19
634	0.19
635	0.36
636	0.16

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
637	0.56
638	0.15
639	0.22
640	0.10
641	0.25
642	0.30
643	0.28
644	0.31
645	0.12
646	0.31
647	0.40
648	0.09
649	0.11
650	0.27
651	0.29
652	0.10
653	0.08
654	0.35
655	0.32
656	0.74
657	0.42
658	0.20
659	0.32
660	0.32
661	0.26
662	0.25
663	0.25
664	0.28
665	0.35
666	0.20
667	0.28
668	0.28
669	0.65
670	0.35
671 / 1	0.15

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
671 / 2	0.02
672	0.20
673	0.20
674	0.31
675	0.35
676	0.37
677	0.21
678	0.26
679	0.23
680	0.21
681	0.34
682	0.20
683	0.20
684	0.24
685	0.29
686	0.14
687	0.16
688	0.27
689	0.69
690	0.39
692	0.47
694	0.33
695	0.66
696	0.22
697	0.18
698	0.23
699 / 1	0.12
699 / 2	0.12
699 / 3	0.09
699 / 4	0.08
699 / 5	0.08
700	0.58
701	0.75
702	0.26
703	0.24

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
704	0.24
705	0.22
706	0.20
707	0.35
708	0.37
709	0.41
710	0.51
712	0.37
713	0.38
714	0.06
715	0.36
716	0.02
717	0.30
718	0.59
719	0.31
720	0.21
721	0.02
722	0.18
723	0.19
724	0.19
725	0.12
726	0.12
727	0.29
730	0.06
733	0.06
734	0.08
735	0.07
736	0.06
737	0.07
738	0.07
739	0.12
740	0.20
741	0.15
742	0.20
743	0.45

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
744	0.47
746	0.24
745	0.28
748	0.28
749	0.02
751	0.34
752	0.56
753	0.39
754	0.01
756	0.46
757	0.23
759	0.24
760	0.37
761	0.23
762	0.32
763	0.14
764	0.15
765	0.15
766	0.16
767	0.36
768	0.16
769	0.17
770	0.21
771	0.11
772	0.27
773	0.37
774	0.10
775	0.57
776	0.13
777	0.13
778	0.26
779	0.16
780	0.55
781	0.01
782	0.01

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
783	0.01
784	0.33
785	0.14
786	0.29
787	0.14
788	0.34
789	0.33
790	0.18
791	0.10
792	0.27
793	0.21
794	0.19
795	0.07
796	0.19
797	0.12
798	0.23
799	0.31
800	0.11
802	0.11
803	0.22
804	0.53
805	0.09
806	0.17
807	0.25
808	0.22
809	0.15
811	0.20
812	0.20
813	0.15
814	0.20
815	0.35
816	0.33
818	0.48
819	0.01
822	0.38
828	0.54

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
829	0.27
830	0.13
832	0.17
833	1.11
834	0.14
835	0.15
837	0.23
839	0.17
840	0.08
841	0.77
842	0.42
843	0.07
844	0.40
845	0.12
846	.040
847	0.14
848	0.24
849 / 1	0.02
849 / 2	0.48
850	0.12
851	0.40
852	0.29
853	0.22
854	0.13
855	0.36
856	0.24
857	0.02
858 / 1	0.01
858 / 2	0.13
859 / 1	0.01
859 / 2	0.05
860 / 1	0.01
860 / 2	0.11
861	0.26
862	0.03
863	0.08

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
864	0.36
865	0.17
866 / 1	0.52
866 / 2	0.16
870	0.31
871	0.33
872	0.20
873	0.10
874	0.43
875	0.66
876	0.26
877	0.31
878	0.14
879	0.18
880	0.31
881 / 1	0.06
881 / 2	0.06
881 / 3	0.07
882 / 1	0.17
882 / 2	0.17
882 / 3	0.11
882 / 4	0.11
882 / 5	0.12
883	0.32
884	0.25
885	0.13
886	0.10
887	0.10
889	.012
891	0.09
893	0.12
895	0.15
896	0.31
897	0.06
898 / 1	0.10

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
898 / 2	0.01
899	0.10
900	0.17
901	0.27
902	0.13
903	0.18
904	0.15
905	0.59
907	0.07
908	0.31
909	0.50
911	0.31
912	0.31
915	0.75
916	0.25
917	0.38
918	0.35
919	0.44
921	0.04
922	0.19
925	0.12
927	0.20
936	0.50
943	0.16
944	0.05
945	0.04
946	0.14
947	0.05
948	0.05
949	0.05
951	0.04
952	0.04
953	0.04
977	0.29
983 / 1	0.28

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
983 / 2	0.79
984	0.66
985	0.60
990	0.05
995	0.01
996 / 1	0.02
996 / 2	0.02
1155	0.03
1158	1.68
1159	1.770
1161	0.22
1162	0.47
1163	0.33
1164	0.22
1165	0.50
1166	0.14
1167	0.36
1168	0.36
1169	1.04
1170	1.98
1171	0.37
1172	0.11
1173	0.63
1187	0.99
1208	0.49
1211	0.34
1212	0.44
1214	0.21
1215 / 1	0.60
1215 / 2	0.14
1216	0.52
1219	1.23
1220	0.35
1221	0.26
1222	0.26

खसरा नं.	रकवा (हे.मे.)
(1)	(2)
1223	0.44
1224	0.52
1226	0.52
1229	0.72
1230	0.51
1231	0.25
1235	1.04
1236	1.04
1237	0.27
1238	0.32
1239	0.55
1240	0.42
1241 / 1	0.33
1242	0.31
1243	0.45
1244	0.95
1245	0.55
1246	0.10
1247	0.06
1248	1.02
1251	0.61
1253	0.45
1254	0.13
1257	0.52
1258	0.23
1260	0.36
1262	0.99
1263	0.13
1264	0.45
1265	0.4
1266	0.24
1267	0.08
1268	0.07
1269	0.18
1270	0.14

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1271	0.23
1272	0.26
1273	0.15
1274	0.31
1275	0.15
1276	0.12
1277	0.23

खसरा नं.	रकवा (हे.मे)
(1)	(2)
1278	0.28
1280	0.67
1281 / 178	0.01
1282 / 990	0.06
1288 / 1159	1.04
योग	184.47

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – अपर कफेटो बांध परियोजना ढूब क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण), भू—अर्जन अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.